जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जनपद-हरदोई ।

लू (हीट वेव) कार्य योजना

वर्ष-2023

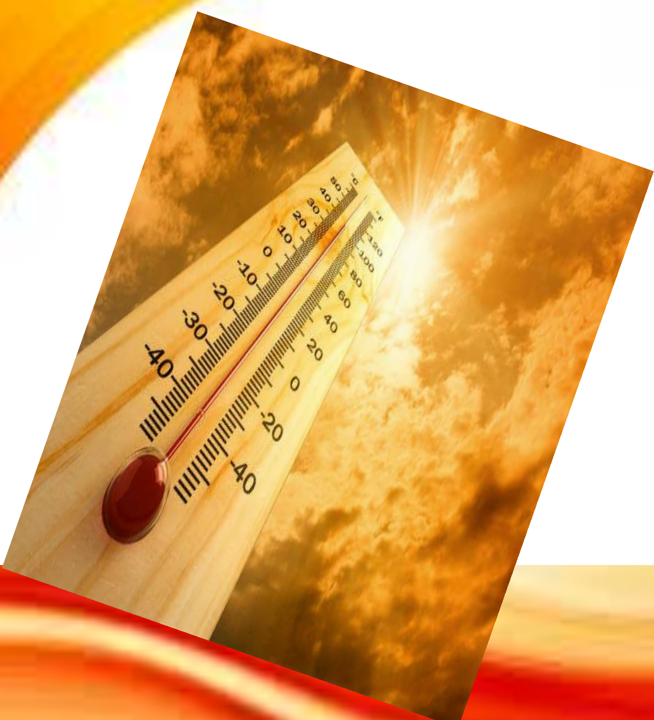

ddmahardoi@gmail.com

मार्गदर्शक

मंगला प्रसाद सिंह (जिलाधिकारी)

अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

हरदोई।

पर्यवेक्षण

प्रियंका सिंह (अपर जिलाधिकारी वि0/रा0)

नोडल अधिकारी–जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

हरदोई।

शोध, संकलन एवं सर्वेक्षण

ज्ञान दीप शर्मा

आपदा विशेषज्ञ

सहयोग

पंकज कुमार

प्रवीण श्रीवास्तव

आपदा सहायक(ए0सी0आर0ए0)

मुख्य चिकित्साधिकारी,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

अन्य सम्बन्धित विभाग।

Framework for preparation of District Level Heat Action plan-2023

1. **पृष्ठभूमि एवं वस्तुस्थितिः-**

1.1 **परिचय (Introduction):- "भारत में ग्रीष्म लहर"** ग्रीष्म लहर या हीटवेव (heatwaves) के उभार ने पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत भी इस संदर्भ में अपवाद नहीं है। 'लैंसेट' (Lancet) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2019 के बीच अत्यधिक गर्मी के प्रति भारत की भेद्यता/अतिसंवेदनशीलता में 15% की वृद्धि हुई। भारत में अब तक दर्ज किये गए पाँच सबसे गर्म वर्षों में से सभी पिछले दशक में ही दर्ज किये गए। मई 2022 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने उत्तर–पश्चिम भारत के कई भागों में भूमि की सतह का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया, जबकि कुछ इलाकों में तो यह 60 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था।इसके साथ ही आर्द्रता, कम बारिश और उच्च तापमान ने विकलता या बेचौनी के स्तर को बढ़ा दिया है, जिससे बिना शीतलन सुविधाओं के लोगों का जीवन और भी कठिन हो गया है। ग्रीष्म लहर का उभार अब कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं रह गई है और यह एक व्यापक प्रतिक्रिया की मांग रखती है।

जनपद में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में लू (हीट–वेव) का प्रकोप देखा जाता है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है कभी– कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षो में भारत में लू (हीट–वेव) के कारण हताहतो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लू (हीट–वेव) की तीव्रता भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यद्यपि लू (हीट–वेव) के कारण भारत में वर्ष 2013 में 1216, वर्ष 2014 में 1677, तथा वर्ष 2015 सवाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए है। लू (हीट–वेव) के कारण वन जीव एवं पशु–पशुओं की भी मौतो की संख्या में वृद्धि हुई है। जनपद में लू (हीट–वेव) के कारण जनहानि, पशुहानि संख्या शून्य है।

लू (हीट–वेव) असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मी के मौसम में होन वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है। लू (हीट–वेव) आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच होती है और कुछ में जुलाई तक भी बढ़ जाती हैं। अत्यधिक तापमान और परिणामी वायुमंडलीय परिस्थितियां इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं क्योकि वे शारीरिक तनाव का कारण बनते है, कभी–कभी मृत्यु भी हो जाती है।

ग्रीष्म लहर क्या है ?

ग्रीष्म लहर या हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत में मई—जून माह के दौरान एक सामान्य परिघटना है और कुछ दुर्लभ मामलों में इसका विस्तार जुलाई माह तक भी देखा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) विभिन्न क्षेत्रों और उनके तापमान परास के अनुसार ग्रीष्म लहरों को वर्गीकृत करता है। IMD के अनुसार भारत में ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या वर्ष 1981—1990 में 413 से बढ़कर वर्ष 2011—2020 में 600 से भी अधिक हो गई है। ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या में यह तेज वृद्धि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई है।

ग्रीष्म लहर घोषित करने के मानदंड

ग्रीष्म लहर की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान (स्टेशन) का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30°C तक पहुँच जाता है। यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर है तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है।

इसके अलावा, सामान्य तापमान से 7°C या उससे अधिक की वृद्धि को चरम ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है।

यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा, 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को चरम ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान से परे वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है तो भी यह ग्रीष्म लहर की स्थिति घोषित की जाती है।

वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने ग्रीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की मुख्य रणनीति तैयार करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किये।

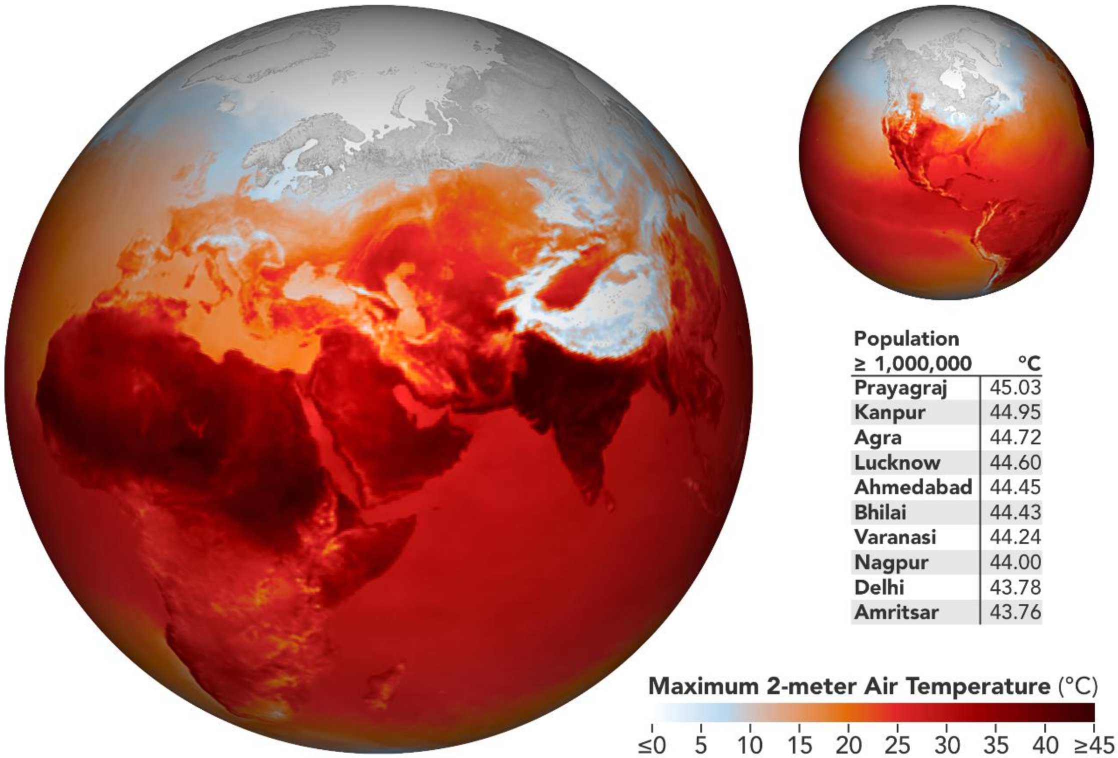

ऊपर दिया गया नक्शा 27 अप्रैल, 2022 को मॉडल किए गए हवा के तापमान को दिखाता है। यह गोडार्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम (GEOS) मॉडल से लिया गया था, और जमीन से 2 मीटर (लगभग 6.5 फीट) ऊपर हवा के तापमान का प्रतिनिधित्व करता है।

1.2 **जिला प्रोफाइल (District profile):-** हरदोई जिला भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में लखनऊ कमीशन का एक जिला है। यह 26–53 से 27–46 उत्तरी अक्षांश और 79–41 से 80–46 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी उत्तर सीमा शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिले, लखनऊ (यू.पी. की राजधानी) और उन्नाव दक्षिण सीमा पर स्थित है, पश्चिम की सीमाएं कानपुर (यू.पी. के औद्योगिक शहर) और फर्रुखाबाद को छूती हैं और पूर्वी सीमा पर गोमती नदी जिले को सीतापुर से अलग करती है। द्वापर युग की तीर्थयात्री नैमिषारण्य जिला मुख्यालय से सिर्फ 45 किमी दूर है। इस जिले की लंबाई उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व है 125.529 किमी और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 74.83 किमी है। जिला हरदोई में 5 तहसील (हरदोई, शाहाबाद, बिलग्राम, संडीला और सवायजपुर), 191 न्याय पंचायत, 1306 ग्राम सभा और 1907 आवास वाले गांव हैं। इसमें 7 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत भी हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल 5989 वर्ग किमी है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या 40,92,845 है, जिसमें से महिला

19,01,403 और पुरुष 21,91,442 हैं। यह जिला पांच तहसीलों ;में जिसके अंतर्गत 19 विकास खंड हैं।द्ध विभाजित है जिसका विवरण निम्नवत है.

क्रम संख्या	तहसील का नाम	विकास खंड का नाम
1.	हरदोइ	अहिरोरी,हरियावा, टड़ियावा,सुरसा,बावन
2.	संडीला	संडीला, बेहंदर, कछौना, भरावन, कोथावा
3.	शाहाबाद	पिहानी, टोडरपुर, शाहाबाद
4.	बिलग्राम	बिलग्राम, सांडी, मल्लावां, माधौगंज
5.	सवायजपुर	भरखनी, हरपालपुर

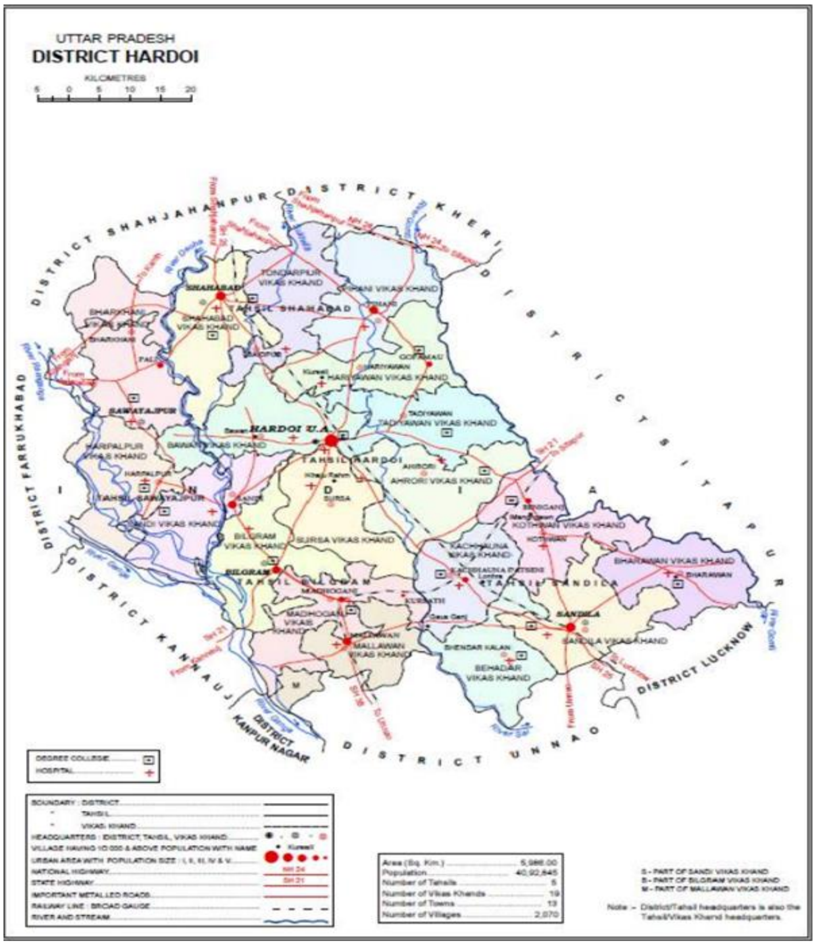

1.3 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित संबंधित मानदण्ड

लम्बे समय तक अत्यधिक गर्म मौसम बरकरार रहने से हीटवेव बनता है। हीटवेव असल में एक स्थान के वास्तविक तापमान और उसके सामान्य तापमान के बीच के अन्तर से बनता है। आईएमडी के मुताबिक, यदि एक स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम–से–कम 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम–से–कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता

है तो हीटवेव चलती है। यदि वृद्धि 6.4 डिग्री से अधिक है और वास्तविक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, तो इसे एक गम्भीर हीटवेव कहा जाता है। तटीय क्षेत्रों में, जब अधिकतम तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हीटवेव चलता है।

1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव

आर्थिक प्रभाव:

ग्रीष्म लहर की लगातार घटनाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कृषि क्षेत्र पर प्रभावरू जब तापमान आदर्श सीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार प्रभावित होती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले रबी मौसम में अपनी गेहूँ की उपज में नुकसान होने की सूचना दी है। भारत भर में ग्रीष्म लहरों के कारण गेहूँ के उत्पादन में 6–7% कमी होने का अनुमान किया गया है। पशुधन भी ग्रीष्म लहरों की चपेट में आते हैं जिनसे उनकी सेहत प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है।

कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीष्म तनाव (heat stress) के कारण वर्ष 2100 तक भारत के शुष्क और अर्द्ध–शुष्क डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में 25ः (वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में) की कमी आ सकती है।

बिजली के उपयोग पर प्रभाव:

ग्रीष्म लहर स्वाभाविक रूप से पावर लोड को प्रभावित करती है।वर्ष 2022 में उत्तर भारत में अप्रैल माह में औसत दैनिक शीर्ष मांग वर्ष 2021 की तुलना में 13% अधिक थी, जबकि मई में यह 30% अधिक थी।

मानव मृत्यु: ग्रीष्म लहरों के कारण मानव मृत्यु की स्थिति भी बनती है क्योंकि असह्य चरम तापमान, जनजागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है।

टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी से प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के शिकार होंगे। बढ़ती गर्मी से मधुमेह, परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में भी वृद्धि होगी।

खाद्य असुरक्षा: ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गंभीर कर देगी। ये परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे।

श्रमिकों पर प्रभाव: वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिये इन क्षेत्रों पर निर्भर है। कमजोर वर्गों पर विशेष प्रभाव: जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहत साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं (जैसी स्थिति अभी है) में हजारों कमजोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है। ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिये भारत को कौन–सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है?

हीटवेव (लू) से तार्त्पय लम्बे समय तक अत्यधिक गर्म मौसम बरकरार रहने से है। एक स्थान के सामान्य तापमान और वास्तविक तापमान के बीच के अन्तर से हीटवेव बनती है। इस समयावधि में गर्म मौसम के साथ–साथ उच्च आर्द्रता का मौसम होने लगता है। समुद्री क्षेत्रों मे मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत इसका प्रकोप अत्यधिक होता है। मैदानी क्षेत्रों मे यदि एक स्थान का तापमान कम–से–कम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुॅच जाये तो उस स्थान पर हीटवेव का प्रकोप माना जाता है एंव यदि तापमान मे 6.4 डिग्री की वृद्धि हो जाये व वास्तविक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुॅच जाये तो इस अवस्था को गम्भीर हीटवेव कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व समुद्री क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुॅच जाय तो हीटवेव चलती है।

Table-1 Temperature/ Humidity Index

Relative Humidity%	Temperature C																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
40	27	28	29	30	31	32	34	35	37	39	41	43	46	48	51	54	57
45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	
50	27	28	30	31	33	35	36	38	41	43	46	49	52	55	58		
55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	54	58			
60	28	29	31	33	35	37	40	42	45	48	51	55	59				
65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59					
70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58						
75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58							
80	30	32	35	38	41	44	48	52	57								
85	30	33	36	39	43	47	51	55									
90	31	34	37	41	45	49	54										
95	31	35	38	42	47	51	57										
100	32	36	40	44	49	56											
		Caution				Danger					Extreme Danger						

1.5 विगत 05 वर्षो में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू)दिवस की संख्या

Year	Maximum Temperature Recorded					Number of Heat Wave days
	March	April	May	June	July	
2018	36	39.6	42.6	42.6	38	21
2019	36.6	41.2	43.0	42.6	38	09
2020	32.6	38.0	42.4	39.5	38	03
2021	37.2	39.6	39.5	40.2	40.2	-
2022	38	43.0	41.6	44	38.6	15
2023	33.5					

2. हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण

तालिका 1.5 में वर्णित 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या के दृष्टिगत जनपद–हरदोई में बढ़ते तापमान और बढ़ते लू दिवस से होने वाले दुष्प्रभावों को न्यून

करने तथा समस्त हितभागी विभागों/ संस्थाओं के समग्र प्रयास से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए योजना का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है।

2.1 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना की आवश्यकता

हीटवेव (लू) के प्रबन्धन का मुख्य उद्देष्य यह है कि अधिकतम व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा सके और उन्हे इस प्रकार की स्थितियों से बचाया जा सके। हीटवेव (लू) की योजना का प्रबन्धन करने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम किया जा सकता है। हीटवेव (लू) का यह प्लान आमजनमानस मे जागरुकता फैलाने और जनपद मे हीटवेव (लू) से प्रभावितो संख्या कम करना है।

2.2 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्य योजना का उद्‌देश्य

हीटवेव (लू) के प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य यह है जनपद में अधिक से अधिक जनमानस को हीट वेब की परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा सके और उन्हे इस प्रकार की स्थितियों से बचाया जा सके। जिससे होने वाले हानि को न्यून किया जा सके। हीटवेव (लू) की योजना का प्रबन्धन करने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम किया जा सकता है। हीटवेव (लू) का यह प्लान आमजनमानस मे जागरुकता फैलाने और जनपद मे हीटवेव (लू) से प्रभावितो की संख्या कम करना है।

2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन

- 05 वर्ष से कम आयु के बच्चे व 65 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति।
- गर्भवती महिलायें।
- कोमोरबिडिटी (एक से अधिक रोगों से पीड़ित)समूह (हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, हार्ट संबंधी रोग और पेट के गंभीर रोग) को चिन्हित कर लेना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जोकी सैन्य, कृषि, निर्माण और औद्योगिक व्यवसाय में श्रमिक, मजदूर, खिलाड़ी, खनिक आदि हों।
- शारीरिक तौर पर कमजोर व्यक्ति एवं मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति।
- त्वचा संबन्धित रोग जैसेः–सोरायसिस,पायोडर्मा आदि से प्रभावित व्यक्ति।
- पर्यावरण बदलने के कारण गर्मी के अनुकूलनता का आभाव।
- अनिद्रा से ग्रसित।
- शराब का उपयोग।

2.4 हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियॉ

पूर्व चेतावनी तंत्र एवं एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करना जिससे सम्बन्धित विभागो को निदेर्शित किया जा सके, जिससे जनसामान्य को सचेत व जागरूक किया जा सकें।

- लू (हीट–वेव) के दौरान इससे सम्बन्धित बीमारियों की पहचान एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, पैरी मेडिकल स्टाफ व सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना जिससे हीटवेव पीडित व्यक्तियों को प्रभावी चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकें।
- प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया एव आई०ई०सी० मेटेरियल जैसे– पर्चे, पोस्टर विज्ञापन आदि के माध्यम से हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे के सम्बन्ध में जन जागरूकता में वृद्धि करना ।
- गैर सरकारी संगठनो एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से लू (हीट– वेव) बचने हेतु स्थाई आश्रयों / रैनबसेरों का निर्माण करना ।
- आवश्यकतानुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याऊ (गिलाष सहित) आदि का व्यवस्था कराना।
- अग्निशमन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च अन्त तक समस्त चिकित्सालय, सरकारी विभागों, स्कूलों और पेट्रोल पम्पों आदि का फायर ऑडिट का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए।

2.5 हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र

भारत मौसम विज्ञान विभाग गर्मी के सूचकांक पर आधारित चेतावनियां प्रदान करता है। यह राहत आयुक्त, मजिस्ट्रेट, दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो के माध्यम से चेतावनी प्राप्त होते ही तत्काल राज्य और जिला आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, सभी प्रकार के मीडिया के माध्यम से चेतावनी का प्रचार–प्रसार करतें है तथा शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देते हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पर चेतावनी प्राप्त होते ही सभी एस0डी0एम0 और तहसीलदार के माध्यम से लेखपालों, बी0डी0ओ0, ग्राम प्रधान आदि द्वारा तत्काल क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कराया जाता है।

जनपद/ब्लाक पर नोडल अधिकारी नामित करने, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर मॉनीटर किये जाने, हीट वेव के समय ''क्या करें व क्या न करें'' की प्रचार प्रसार किये जाने, मोबाइल मैसेज/व्हाट्सएप्प आदि सोशल मिडिया के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किये जाने, तीव्र गर्मी के बचाव हेतु विद्यालय समय मे परिवर्तन किये जाने, पेय जल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों/कामगारों के कार्य करने के घण्टों में परिवर्तन किये जाने के निर्देष जारी किये जाते हैं।

मानक परिचालन प्रक्रिया का सक्रियकरण

एस0ई0ओ0सी0 (राहत आयुक्त कार्यालय/ यू0पी0एस0डी0एम0ए0)आई0एम0डी0 द्वारा जनपदों को प्रारंभिक चेतावनी जानकारी करना

प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एन0आई0सी0 द्वारा प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार

- आपदा प्रबंधन के लिए इंटर एजेंसी समन्वय
- हिट वेव एस0ओ0पी0 के कार्यान्वयन की निगरानी
- जब आवश्यक हो, प्रतिक्रिया टीम की तैनाती करना प्रतिक्रिया करना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- आई0सी0डी0एस0
- पंचायती राज विभाग
- पशुपालन
- परिवहन और पर्यटन
- बिजली विभाग
- श्रम विभाग
- जल निगम

विभागीय हिट वेव कार्य योजना का क्रियान्वयन और एस0ओ0पी0 सक्रियण

हीटवेव (लू) घोषणा का विश्लेषणः भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान समय में पूरे देश के लिये चेतावनी जारी करने की रंग संकेत एकल प्रणाली (Color Code Signal System) का अनुसरण करता है। यह प्रणाली अपेक्षित गर्मी के खतरे की गंभीरता के सम्बंध में सलाह देती है।

हीटवेव (लू) की घोषणा के लिए मानदंडः

क) सामान्य अधिकतम तापमान के आधार पर

- हीट वेवः सामान्य से विचलन 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस होने पर ।
- गंभीर हीट वेवः सामान्य से से विचलन >6.40 डिग्री सेल्सियस होने पर ।

ख) वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर

- हीट वेवः जब वास्तविक अधिकतम तापमान $\geq 45^{\circ}$ डिग्री सेल्सियस हो ।
- गंभीर हीट वेवः जब वास्तविक अधिकतम तापमान $\geq 47^{\circ}$ डिग्री सेल्सियस हो ।

यदि उपर्युक्त मानदंड लगातार दो दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के कम से कम 2 स्टेशनों में मिलते हैं तब हीट वेव (लू) की स्थिति घोषित की जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पर आधारित हीट अलर्ट निम्नलिखित कलर सिग्नल सिस्टम का उपयोग करके जारी किया जाता है:—

रंग कोड	अलर्ट	चेतावनी	प्रभाव	सुझाए गए कार्य
हरा (कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं)	सामान्य दिन	अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के पास है। चेतावनी की जरूरत नहीं।	आरामदायक तापमान, कोई सतर्कता या कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	सामान्य दिन की भांति दैनिक गतिविधि
येलो अलर्ट (अपडेट रहें)	हीट अलर्ट	हिट वेव की स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है।	सामान्य लोगों के लिए गर्मी सहन करने योग्य है लेकिन संवेदनशील लोगों जैसे शिक्षु, वृद्ध एवं लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिये थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है।	क:— गर्मी के जोखिम से बचें। ख:— ढीले ढाले, सूती व हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने। ग:— अपने सिर को ढकने के लिए कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें।
ऑरेंज अलर्ट (सतर्क रहें)	दिन के लिए गंभीर हिट वेव (लू) का अलर्ट है।	●अगले दो दिनों तक गंभीर हिट वे लोगों की स्थिति बनी रहेंगी। ●अत्यंत गंभीर नहीं, परंतु अगले 4 दिन या 4 से अधिक दिनों तक हीट वेव की	उन लोगों में हीट स्ट्रोक्स के लक्षण की संभावना बढ़ जाती है जो सीधे सूर्य के नीचे लंबे समय तक काम करते हैं या जो अत्यधिक श्रम वाले कार्यों में नियोजित है। संवेदनशील समूहों जैसे—	क:— दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच गर्मी से बचे, ठंडे स्थान पर रहे तरल पदार्थ का सेवन करते रहे। ख:— ढीले ढाले सूती व हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने। ग:— अपने सिर को ढकने के

		स्थिति बनी रहेगी।	शिशु, वृद्ध एवं लंबी बिमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है।	लिए कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें। घः— भले ही प्यास ना लगे फिर भी पर्याप्त पानी पीते रहें। ड़ः— ओआरएस घोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे— छाछ, लस्सी, नींबू पानी, आम का पन्ना इत्यादि का अधिक से अधिक सेवन करें।
रेड अलर्ट (कार्यवाही करें)	रेड अलर्ट (कार्यवाही करें)	●गंभीर लू की स्थिति अगले 2 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है। ●गर्मी की कुल संख्या/ गंभीर लू के दिन 6 दिनों से अधिक समय तक बनी रह सकती है।	सभी उम्र के लोगों में हीट स्ट्रोक की संभावना हो सकती है।	अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है विशेषकर अति संवेदनशील समूह जैसे शिशु, वृद्ध एवं लंबी बिमारी से ग्रसित व्यक्ति।

मानक परिचालन प्रक्रिया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

क्र. सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1.	**लू से बचाव संबंधित उपायों के विषय में जन जागरूकता अभियान चलाना**	1. गर्म हवाएं/लू (हीट वेव) के समय क्या करें और क्या न करें के बारे में जनता को बताने और शिक्षित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना। 2. कोविड–19 आपदा से बचाव हेतु जरुरी सुरक्षा उपाय जैसे–शारीरिक दूरी, मॉस्क का प्रयोग, साबुन एवं पानी की उपलब्धता और सैनीटाइजेशन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लू से बचाव की जानाकरी भी विभिन्न प्रचार माध्यमों से देना। 3. हीट वेब /लू से होने वाली मौतों को रोकने हेतु सभी जरूरी उपाय अमल में लाना। 4. हीट वेब /लू सम्बंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों के विषय में नियमित प्रेस कांफ्रेंस करना, मंदिरों, सार्वजनिक भवनों, मॉल आदि जगहों को शीतल रखने की व्यवस्था करना, हीट वेध्लू की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर पेय जल/शीतल पेय पदार्थ कियोस्क खोलने के लिए प्रेरित करना। 5. महत्वपूर्ण स्थानों, यथा–हॉस्पिटल, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने हेतु विद्युत कम्पनियों से आग्रह करना।	1. राजस्व विभाग 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3. पुलिस विभाग 4. भारत मौसम विज्ञान विभाग 5. विद्युत विभाग 6. समाज कल्याण विभाग 7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 8. श्रम विभाग 9. आवास एवं शहरी विकास विभाग 10. जल निगम 11. स्थानीय शहरी निकाय 12. परिवहन विभाग 13. पशुपालन विभाग 14. शिक्षा विभाग 15. पंचायती राज विभाग 16. यूएन, एनजीओ, सीएसआर	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को निर्गत हीट वेव 2022 की एडवाइजरी का सुनिश्चित अनुपालन कराया जाये।

2.	**जिला स्तर पर लू जोखिम का आंकलन करना एवं लू हाट स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित करना**	1. भारत मौसम विज्ञान विभाग व अन्य स्रोतों से पिछले आंकड़ों के आधार पर जिले में लू की घटना की संभावना और लू की घटना की संभावना में वृद्धि का आंकलन। 2. लू के पिछले मामलों के सन्दर्भ एवं सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल, आवास, कमजोर व्यवसाय पैटर्न, पुरानी बीमारी और जनसंख्या के आंकड़ों के विशेष संदर्भ के साथ जिले की संवदेनशीलताश का आंकलन। 3. अर्बन हीट आइलैंड (UHI)[2] के विशेष संदर्भ में शहरी हीट वे (लू) का मूल्यांकन। 4. हीट वे (लू) के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए मौजूदा क्षमता का आंकलन।	1. राजस्व विभाग 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3. पुलिस विभाग 4. भारत मौसम विज्ञान विभाग 5. अग्निशमन विभाग 6. समाज कल्याण विभाग 7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 8. श्रम विभाग 9. आवास एवं शहरी विकास विभाग 10. विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान 11. यूएन, एनजीओ, सीएसआर	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2)(3) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विभागों को जिले में आपदाओं के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने, आपदाओं निवारण करने के आपदाओं के प्रभावों को कम करने के उपाय सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत करता है। 2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्य योजना 2019 के बिंदु संख्या 2.3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार
3.	**सम्बंधित एजेंसियों और जन समुदाय को लू पूर्वानुमान सम्बंधी चेतावनी जारी करना**	1. भारत मौसम विज्ञान विभाग या राज्य स्तर से दैनिक और 4–दिवसीय लू पूर्वानुमान प्राप्त करना। 2. लू पूर्वानुमान के तहत आने वाले ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकायों को चिन्हित करना । 3. ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकायों (ULB) के लिए लू पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करना । 4. जिला स्तर पर लाइन डिपार्टमेंटों और अन्य संस्थानों को लू पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करना । 5. लू पूर्वानुमान के तहत आने वाले ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के लिए लू पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी जारी करना । 6. लू पूर्वानुमान के आधार पर स्थानीय निकायों/वार्डों को चेतावनी के साथ क्या करें और क्या न करें के दिशा निर्देश जारी करना।	1. ब्लॉक प्रशासन 2. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4. पुलिस विभाग 5. समाज कल्याण विभाग 6. श्रम विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. शिक्षा विभाग 9. पंचायती राज विभाग 10. जल शक्ति विभाग 11. परिवहन विभाग 12. नागरिक समाज संगठन, चौरिटेबल ट्रस्ट 13. स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (14–XiV) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की स्थापना, रखरखाव, समीक्षा, उन्नयन और जनता को उचित जानकारी के प्रसार करने के लिये अधिकृत किया गया है। 2. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिया गया 4–दिन का पूर्वानुमान जो प्रत्यके दिन 16:00 बजे जारी किया जाता है।

		7. सोशल मीडिया, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जनता के लिए लू पूर्वानुमान का प्रचार–प्रसार करना ।		
4.	**हीट वे / लू प्रतिक्रिया के समन्वय हेतु इमरजेंसी आपरेशन सेंटरधनियंत्रण कक्ष स्थापित करना**	**1. लू प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए इमरजेंसी आपरेशन सेंटर / नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना:** 1.1 जिला स्तर पर 1.1.1 लाइन डिपार्टमेंट 1.1.2 प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में बैकअप के साथ कम से कम एक कर्मचारी व एक समर्पित संपर्क नंबर होना चाहिये। **2 लू हॉट स्पॉट के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक एवं स्थानीय शहरी निकाय (ULB) पर इमरजेंसी आपरेशन सेंटरधनियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना:** 2.1 लू की स्थिति में ब्लॉक और लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख फोकल पॉइंट की सूची तैयार करना, इमरजेंसी आपरेशन सेंटरधनियंत्रण कक्ष में दैनिक लू पूर्वानुमान का विवरण, हीट वेध्लू से सम्बंधित दैनिक स्थिति रिपोर्ट के साथ जनता के लिए शिकायतध् अनुरोध दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिये । **3. अग्नि दुर्घटना से सम्बंधित मामलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अग्निशमन सेवाओं के साथ समन्वय से रिपोर्ट तैयार करना:** 3.1 रिपोर्ट संकलन में महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करना। 3.2 प्रतिक्रिया उपायों को शामिल करना। 4. स्टेट ईओसी को स्टेटस रिपोर्ट भेजना।	1.ब्लॉक प्रशासन 2. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4. अग्निशमन विभाग 5. पुलिस विभाग	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के अनुलग्नक–7 /प्रारूप–ए उल्लिखित में दिशानिर्देशों के अनुसार।
5.	**जिले स्तर**	1. जिले की लू की तैयारी हेतु	1. स्वास्थ्य एवं परिवार	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

	पर लू प्रतिक्रिया के लिए तैयारी की समीक्षा करना	लू से पूर्व विशेष 1. स्व रुप से मार्च माह में जिला आपदा प्रबंधन कल्य प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक का आयोजन करना। 2. बैठक हेतु लाइन डिपार्टमेंट[5], स्थानीय शहरी निकाय और ब्लॉक प्रशासन को आमंत्रित करना । 3. जिला लू योजना के अनुसार लू से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी, तैयारियों और न्यूनीकरण क्रियाओं की समीक्षा करना। 4. लू प्रतिक्रिया के लिए लाइन डिपार्टमेंट, ब्लॉक प्रशासन, स्थानीय शहरी निकाय (ULB) से फोकल पॉइंट को अपडेट/ चिन्हित करना। 5. लू प्रतिक्रिया के लिए राहत सामग्री के स्टॉक की समीक्षा करना एवं राहत सामग्री को स्टोर करना। 6. लू प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जल शक्ति विभाग, पशुपालन विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय शहरी निकाय, ब्लॉक प्रशासन की तैयारी की समीक्षा करना। 7. जिला लू प्रतिक्रिया योजना की समीक्षा करना एवं उन्हें अपडेट करना। 8. जिले में लू की तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना और किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित करना।	कल्याण विभाग 2. पंचायती राज विभाग 3. जल शक्ति विभाग 4. अग्निशमन विभाग 5. पशुपालन विभाग 6. श्रम विभाग न 7. विद्युत विभाग 8. शिक्षा विभाग 9. अन्य लाइन डिपार्टमेंट 10. ब्लॉक प्रशासन 11. स्थानीय शहरी निकाय (ULB)	अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (7–vii) द्वारा जनपद स्तर पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु प्रावधान है।

[1]रिक्शा चालक, ऑटो चालक, बस चालक, भिखारी, कुली, स्ट्रीट हॉकर, सुरक्षा कर्मचारी, यातायात पुलिस।

[2]अर्बन हीट आइलैंड (UHI) भवन निर्माण सामग्री, भवन की ऊंचाई और घनत्व, जनसंख्या घनत्व और हरित आवरण सहित भौतिक एवं पर्यावरण निर्मित घटना का परिणाम है।

[3]हीट वे/लू पूर्वानुमान में लू से संबंधित क्या करें और क्या न करें के दिशा निर्देश होंगे।

[4]स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, जल शक्ति विभाग, परिवहन विभाग, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम रेडियो, सामुदायिक रेडियो और धर्मार्थ ट्रस्ट।

[5]ग्राम पंचायत/वार्ड/ब्लॉकवार, समय और तारीख, उम्र और लिंग, लक्षण, प्रभावित का पेशा, प्रभावित की आर्थिक स्थिति (एपीएल /बीपीएल) डेटा।

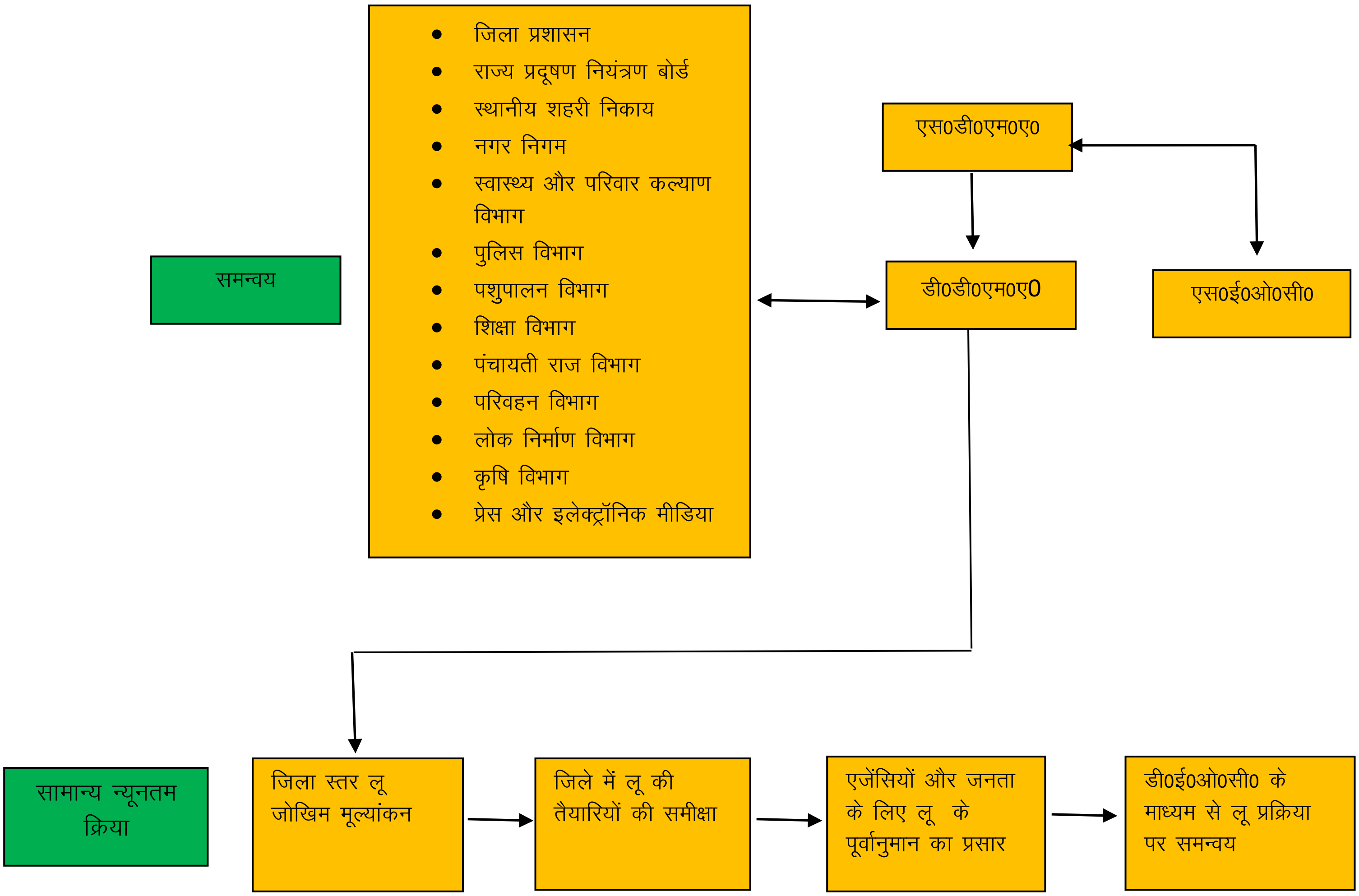

चित्र 1: डी0डी0एम0ए0 द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: भूमिका और जिम्मेदारियां:

क्र.सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1.	**हीट वे / लू चिकित्सा तैयारी एवं प्रतिक्रिया की समीक्षा करना**	1. हीट वे / लू की चिकित्सा तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की बैठक मार्च माह में आयोजित करना । 1.1 बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा करना: 1.1.1 प्रत्येक ब्लॉक और स्थानीय शहरी निकाय (ULB) लू प्रतिक्रिया के लिए फोकल प्वाइंट का निर्धारण । 1.1.2 हीट वेध्लू प्रतिक्रिया मामलों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, क्षमताओं का आंकलन करना, हीट स्ट्रोक उपचार के लिये वार्ड, कूलिंग रूम की मैपिंग इत्यादि । 1.1.3 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैकअप की व्यवस्था । 1.1.4 एंबुलेंस की व्यवस्था । 1.1.5 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना । 1.1.6 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आंकलन व स्टोरेज । 1.1.7, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को लू के मामालों की रिपोर्टिंग । 1.1.8 हीट वे / हीट स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि के मामले में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ समन्वय । 2. लू प्रतिक्रिया के लिए जिला स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना । 3. लू के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया एवं तैयारी योजना की समीक्षा ६ अपडेट करना।	1.ब्लॉक प्रशासन 2.स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 3. समाज कल्याण विभाग 4.दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग 5.पंचायती राज विभाग 6.एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स	राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) (ए–2) द्वारा राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा– आपदा की रोकथाम के लिए रणनीतियों का एकीकरण या इसके प्रभावों का शमन या विभाग द्वारा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करेगा।
2.	**लू प्रतिक्रिया के समन्वय**	1. मई माह से लू प्रतिक्रिया के लिए जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियंत्रण कक्ष को स्थापित कर सक्रिय करना ।	1– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / जिला	

	के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना	2. नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित को सुनिश्चित करनाः 2.1 स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के साथ लू हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर एक डेटाबेस तैयार के उपचार करना एवं उन्हें लू के मामलों के आधार पर दैनिक अद्यतन करना। 2.2 हीट वे / हीट स्ट्रोक से सम्बंधित आने वाली फोन कॉल का जवाब देने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तैयार करना । 2.3 हीट वे/ लू के मामलों और मौतों को संकलितश कर विवरण रिपोर्ट तैयार करना और जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के साथ साझा करना। 2.4 हीट स्ट्रोक के मामलों और रुझानों का विश्लेषण करना।	चिकित्सालय 2. स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबीं) के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं 3. निजी स्वास्थ्य चिकित्सालय	
3.	**ऊष्माघात हीटस्ट्रोक के मामलों के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया तैयारी**	1. ऊष्माघात/हीट स्ट्रोक के मामालों में केस प्राप्त करने से लेकर उपचार तक स्पष्ट प्रोटोकॉल को ड्राफ्ट करना। 2. स्वास्थ्य सुविधाओं के कम में निम्नलिखित सुनिश्चित करना: 2.1 ओआरएस, आईवी तरल पदार्थ, जीवनरक्षक दवाइयां, आइस पैक की पहले से व्यवस्था करना। 2.2 हीट स्ट्रोक वार्ड/बेड में कुलिंग की सुविधा (एसी/ कूलर्स) 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से उच्च स्वास्थ्य सुविधा के लिए रोगियों को संदर्भित करने पर ड्राफ्ट प्रोटोकॉल जो पर्याप्त स्थिरीकरण और बुनियादी निश्चित देखभाल (शीतलन और जलयोजन) के बाद ही किया जाना चाहिए। 4. रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करना जो अस्पताल के बाहर चिकित्सा मुहैया कराना सुनिश्चित करे। 5. ऊष्माघात/हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कंट्रोल रूम को भेजना।	1—सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय 2. स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबीं) के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं 3. निजी स्वास्थ्य चिकित्सालय	1.राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्य योजना 2019 के बिन्दु संख्या 4.2 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार

[1]ग्राम पंचायत / वार्ड / ब्लॉक वार, समय और तारीख, उम्र और लिंग, लक्षण, प्रभावित का पेशा, प्रभावित की आर्थिक स्थिति (एपीएल / बीपीएल) डेटा

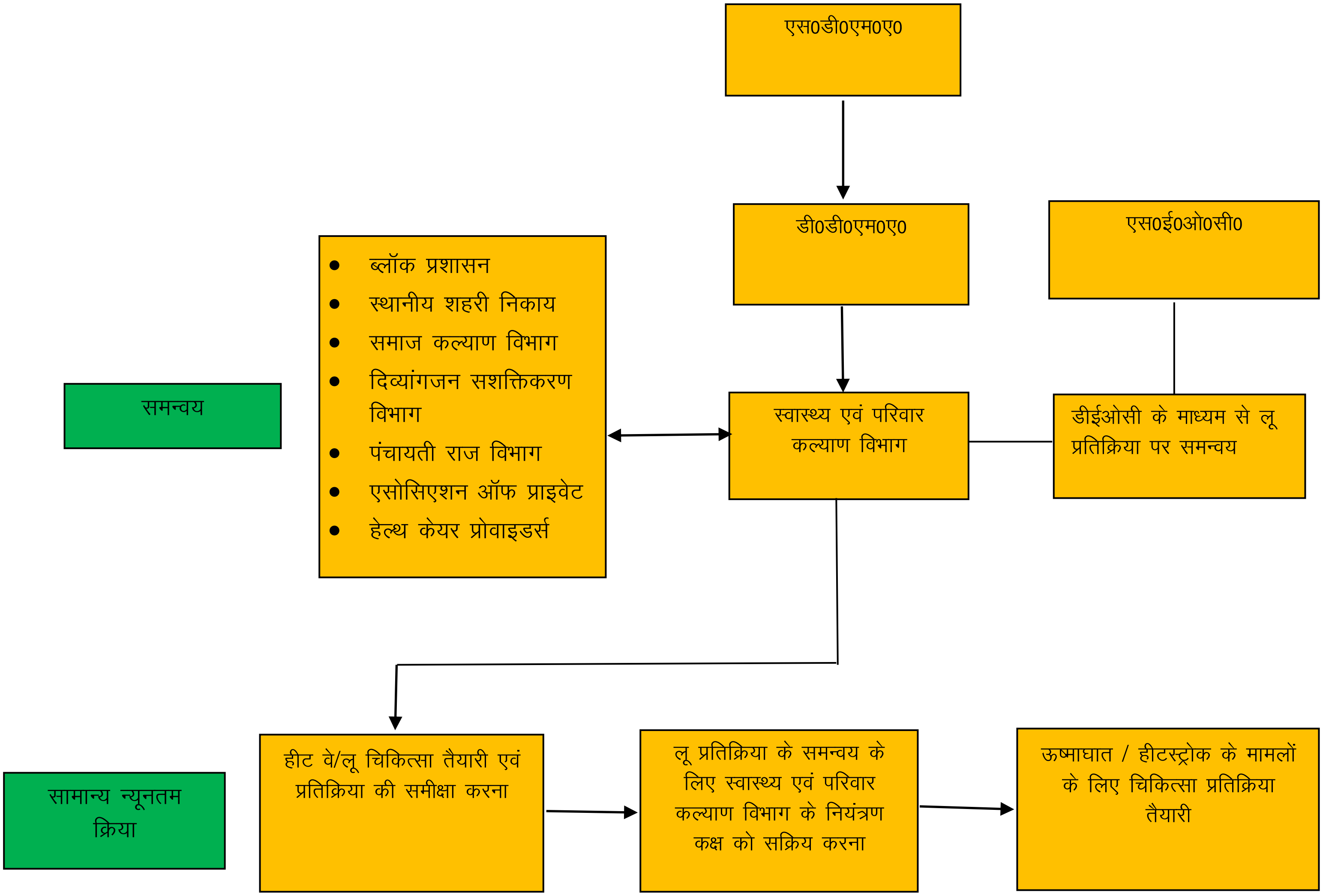

चित्र 2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

स्थानीय शहरी निकाय: भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

क्र.सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1.	**हीट वेब/ लू/ के सन्दर्भ में शरह/ कस्बे और वार्ड की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना**	1.शहर/वार्ड स्तर पर लू के सन्दर्भ में तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए स्थानीय शहरी निकाय की बैठक मार्च माह में आयोजित करना। 1.1 बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा करना: 1.1.1 लू प्रतिक्रिया के दौरान आपातकालीन कार्यों जैसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी की आपूर्ति, फोकल प्वांइट का निर्धारण । 1.1.2 वार्ड स्तर पर फोकल प्वांइट का निर्धारण । 1.1.3 वार्ड स्तर पर लू प्रतिक्रिया के लिए स्वयंसेवकों का चिन्हांकन। 1.1.4 प्रत्येक वार्ड में लू प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता का आंकलन करना, हीट स्ट्रोक उपचार के लिये वार्ड, कूलिंग रूम की मैपिंग इत्यादि । 1.1.5 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैकअप की व्यवस्था । 1.1.6 एंबुलेंस की व्यवस्था । 1.1.7 स्थानीय शहरी निकाय (न्स्ठ) में नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 1.1.8 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आंकलन एवं स्टोरेज । 1.1.9 लू चेतावनी का प्रचार–प्रसार। 1.1.10 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को लू के मामालों की रिपोर्टिंग । 1.1.11 लू के कारण काम के घंटों का पुनर्निर्धारण। 1.1.12 हीट स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि के मामले में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ समन्वय । 2. लू प्रतिक्रिया के लिए शहरी स्थानीय निकाय (न्स्ठ) की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना ।	1. अग्निशमन विभाग 2. पुलिस विभाग 3.स्थानीय शहरी निकाय (ULB) का स्वास्थ्य अनुभाग 4.स्थानीय शहरी निकाय (ULB) का जल आपूर्ति विभाग 5.स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 6. विद्युत विभाग 7. वार्ड पदाधिकारी 8.निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता 9. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट	1.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (2) (ए–2)द्वारा स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा।

2.	**स्थानीय शहरी निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से विभागों एवं जनता को लू की चेतावनी जारी करना।**	1. संबंधित वार्डो और प्रतिक्रिया पदाधिकारियों' को लू अलर्ट का प्रचार व प्रसार करना । 2. आम जनमानस को लू अलर्ट की चेतावनी के प्रचार व प्रसार हेतु: 2.1 स्थानीय केबल ऑपरेटर, सोशल मीडिया, एफएम और स्थानीय समाचार पत्र का उपयोग करना। 2.2 रियल एस्टेट, ठेकेदार संघ के साथ समनव्य कर बचने के लिये निर्देशित करना। 11 बजे से 3 बजे तक खुले क्षेत्रों में श्रम कार्य करने से 2.3 शहर के सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर लू अलर्ट की चेतावनी का प्रचार व प्रसार । 2.4 हाट स्पॉट और संवदेनशील समूहों की देखभाल के लिये स्वयंसेवकों की पहचान करना। 3. वालंटियर्स को लू के दौरान क्या करे क्या न करें और हीट स्ट्रोक से रोगग्रस्त व्यक्तियों की बुनियादी देखभाल व प्राथमिक उपचार प्रदान करने पर प्रशिक्षित करना।	1. वार्ड पदाधिकारी 2. वार्ड स्तर के स्वयंसेवक 3. सार्वजनिक परिवहन विभाग 4. रियल एस्टेट एसोसिएशन 5. स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटर, एफएम रेडियो और स्थानीय समाचार पत्र	
3.	**सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और स्नान की सुविध स्थापित करना**	1. सार्वजनिक स्थानों[2] पर पेयजल सुविधा बनाने के लिए जल शक्ति, स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की जल आपूर्ति अनुभाग, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ समन्वय करना। 3. सुनिश्चित करना कि पेयजल के स्रोत सुव्यवस्थित और स्वच्छ हैं। 4. बेघरों के लिए आश्रय स्थल पर स्नान की सुविधा का निर्माण करना।	1.जल शक्ति विभाग 2. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की जल आपूर्ति अनुभाग 3. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट 4. रियल एस्टेट एसोसिएशन	
4.	**पानी के टैंकर की की व्यवस्था करना**	1. पानी की आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी के टैंकरों का डेटाबेस बनाना। 2. निजी पानी के टैंकरों को सूचीबद्ध करना। 3. स्थानीय शहरी निकाय के नियंत्रण कक्ष पर जनता द्वारा पानी की मांग पर पानी के टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 4. पेयजल की उच्च मांग और सीमित आपूर्ति के संवेदनशीलता मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए	1. स्थानीय शहरी निकाय (ULB) की आपूर्ति जल अनुभाग 2. पुलिस विभाग 3. जल शक्ति विभाग 4. निजी पानी के टैंकर	

		पुलिस के साथ समन्वय करना। 5. पेयजल की आपूर्ति पूर्ण होने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा दर्ज मामले को बंद करना।		
5.	**प्रतिक्रिया उपायों का कार्यान्वयन**	1.चरम गर्मी/लू की अवधि के दौरान सार्वजनिक पार्क और सार्वजनिक उद्यान को खोलना। 2.सड़कों पर पानी का छिड़काव करना ।	1. वार्ड पदाधिकारी	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 4. 3 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार

[1]स्वास्थ्य, बिजली, जल आपूर्ति, श्रम, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन

[2]बस स्टैंड, निर्माण स्थल, बाजार, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, औद्योगिक क्षेत्र

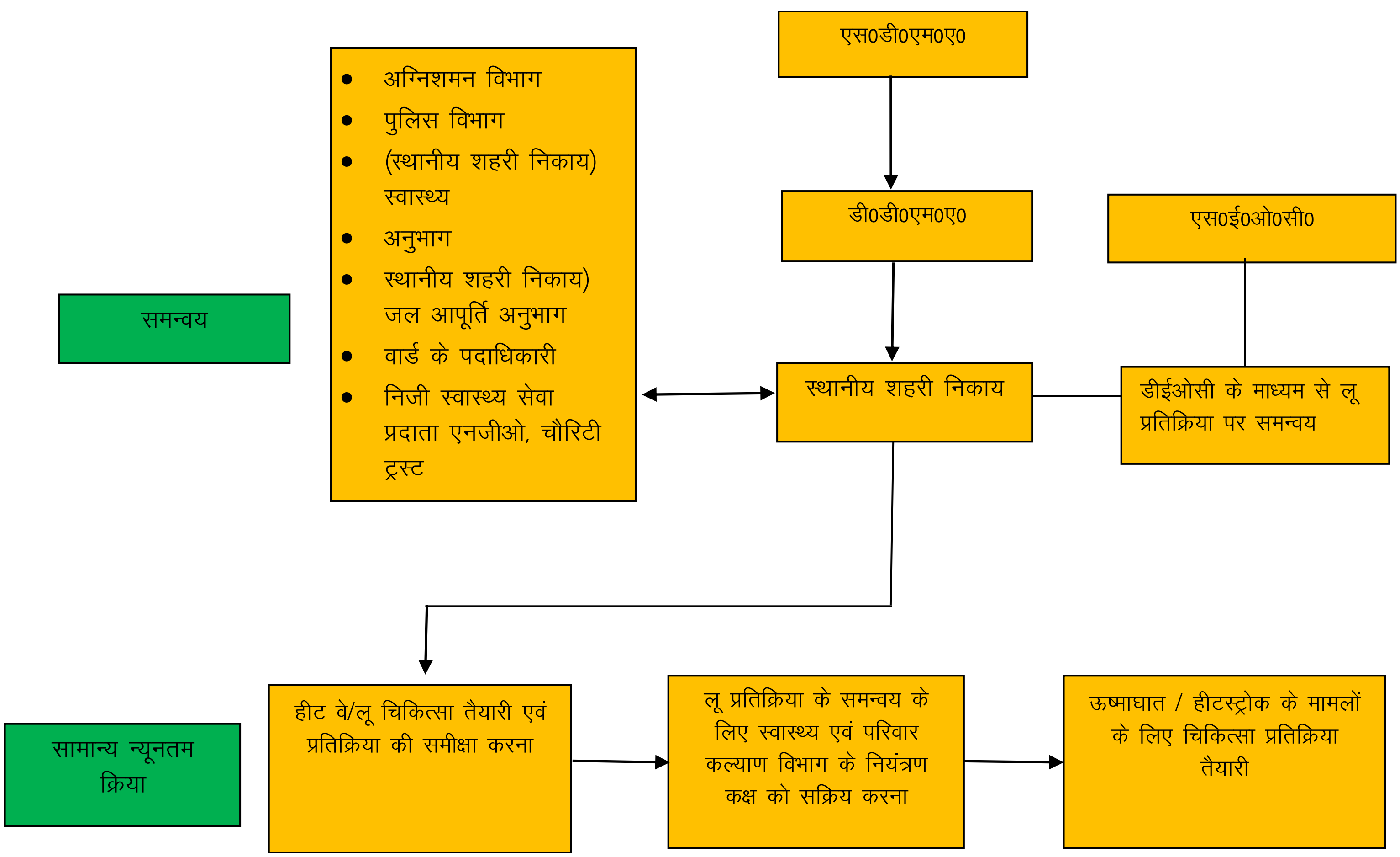

चित्र 3: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लू प्रबंधान के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

पंचायती राज विभागः भूमिका और जिम्मेदारियाँः

क्र.सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1-	**पंचायती राज विभाग की लू की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना**	1.लू के सन्दर्भ में तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभाग की बैठक मार्च माह में आयोजित करना। बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा की जानी चाहिये: 1.1 लू प्रतिक्रिया मामलों के लिए गावं स्तर पर फोकल प्वांइट का निर्धारण । 1.2 लू प्रतिक्रिया मामलों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमताः हीट स्ट्रोक उपचार वार्ड, कूलिंग रूम, आदि। 1.3 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैकअप 1.4 कार्यात्मक एम्बुलेंस की संख्या 1.5 लू प्रतिक्रिया के लिए समन्वय व्यवस्था 1.6 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आंकलन एवं स्टोरेज । 1.7 शहर में सुपर स्पेशलिटी की आवश्यकता वाले मामले को स्थानांतरित करने के लिए प्रोटोकॉल 1.8 चारा प्रबंधन 1.9 पशुपालन देखभाल 1.10 लू प्रतिक्रिया के लिए ग्राम स्वयंसेवक का चिन्हीकरण। 2. लू प्रतिक्रिया के लिए पंचायती राज विभाग की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना	1.पंचायती राज विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारी 2. समाज कल्याण विभाग 3.दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 4. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट 5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 6. पशुपालन विभाग	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) (1) द्वारा राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशित करेगा।
2-	गर्मियों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाना पकाने के समय को निर्धारित करना	1.आग के खतरों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के समय को निर्धारित करने एवं निगरानी के लिये ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करना। 2.ग्राम पंचायत मई से पहले ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर खाना पकाने के विशिष्ट समय के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। 3. हीट वे/ लू से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें को ग्राम सभा में साझा करना। 4. ग्राम पंचायत खाना पकाने के समय का सख्ती से अनपालन सुनिश्चित करायेगी।	1.ग्राम पंचायत	

3-	**पानी के टैंकर का प्रावधान करना**	1.जिले के विभिन्न विकास खण्डों में जलापूर्ति के लिए उपलब्ध पानी के टैंकरों का डेटाबेस बनाना। 2. पंचायती राज विभाग द्वारा निजी पानी के टैंकरों को सूचीबद्ध करना। 3. पंचायती राज विभाग द्वारा चलाये जा रहे नियंत्रण कक्ष पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अनुरोध पर पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति रचत कराना। 4. पेयजल की उच्च मांग और सीमित आपूर्ति के संवेदनशीलता मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना। 5.पेयजल की आपूर्ति पूर्ण होने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा दर्ज मामले को बंद करना।	1. जल शक्ति विभाग 2. पुलिस विभाग 3. निजी पानी के टैंकर	
4-	**सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की सुविधा स्थापित करना।**	1. सार्वजनिक स्थानों विशेषकर बस स्टैंड, बाजार, तीर्थस्थल, मनरेगा साइटों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल सुविधा बनाने के लिये जल शक्ति विभाग, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना। 2.सुनिश्चित करना कि पेयजल के स्रोत सुव्यवस्थित और स्वच्छ हों।	1.जल शक्ति विभाग 2. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट	1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 4.3 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार।
5-	**जानवरों के लिए लू की तैयारी करना**	1. सूखे / लू की स्थिति को ध्यान में रखकर चारे और पानी की आवश्यकता वाले ब्लॉकों और गांवों को चिन्हित करना। 2. पशुओं के लिए चारे और पानी की आवश्यकताओं का ग्राम पंचायतवार आंकलन करना । 3. सूखे की स्थिति में चारा शिविर का आयोजन करना । 4. पशुओं के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 5. लू से बचाव के लिए छुट्टा व आवारा जानवरों के लिए छायादार शेड बनाना।	1. राजस्व विभाग 2. जल शक्ति विभाग 3. एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट 4.पशुपालन विभाग	

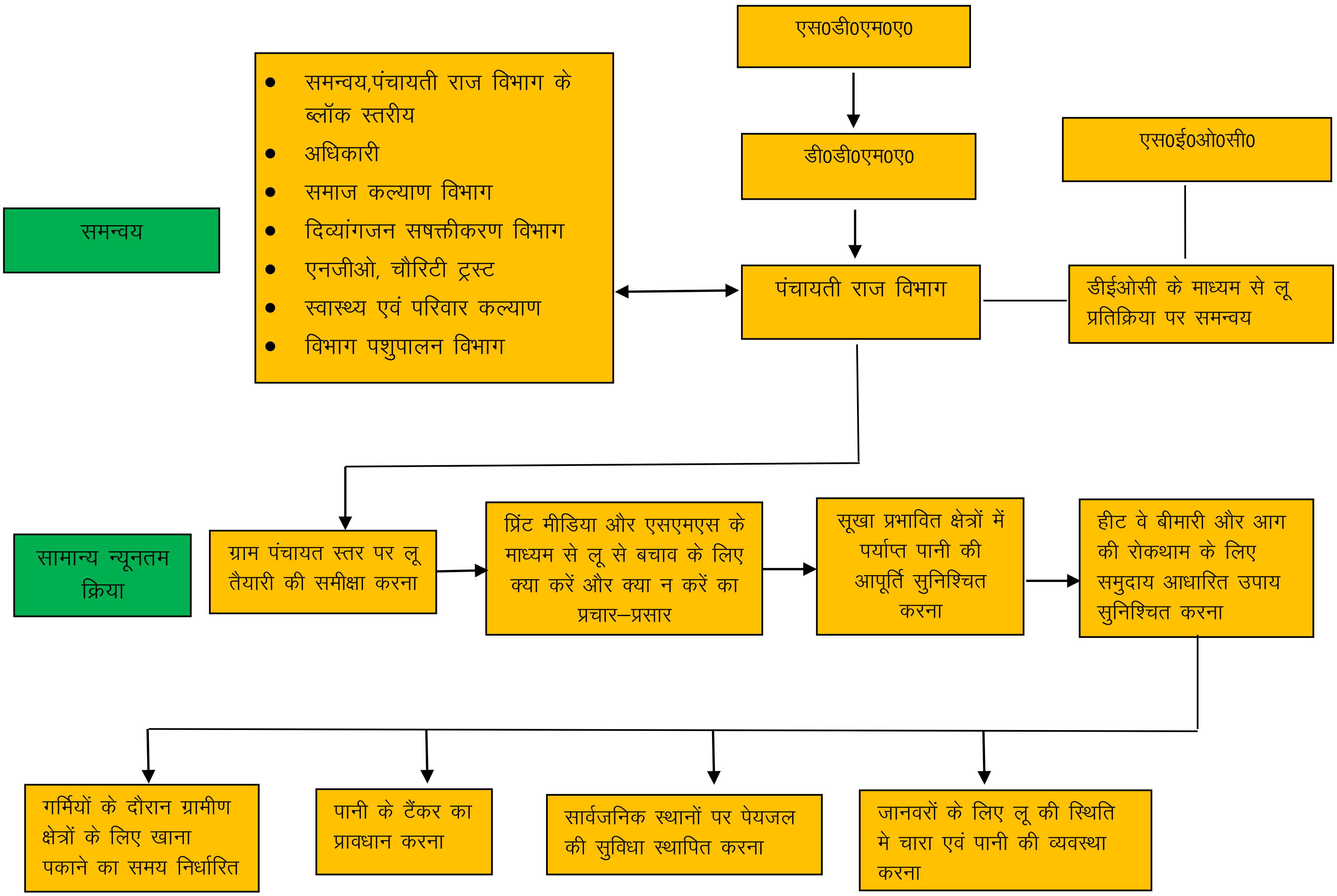

चित्र 4: पंचायती राज विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

पशुपालन विभागः भूमिका और जिम्मेदारियाँः

क्र.सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1.	**जानवरों के लिए लू की तैयारी करना**	1.जिले में पशुधन, पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्र का डेटाबेस तैयार करना। 2. पशु चिकित्सा से सम्बंधित दवाओं और उपकरण की स्थिति का आंकलन एवं स्टोरज। 3. लू से बचाव के लिए जानवरों के लिए पशु आश्रय/शेड का निर्माण। 4. सूखे की स्थिति में चारा शिविर का आयोजन। 5. पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। 6. जानवरों में लू संबंधित मामलों का विश्लेषण करना और निष्कर्षो को अगले वर्ष की प्रतिक्रिया योजना में शामिल करते हुए अपडेट करना। 7. पशुओं पर लू के प्रभाव की सूचना जिला इमरजेंसी नियंत्रण कक्ष को देना।	1.राजस्व विभाग 2.पंचायती राज विभाग 3. बीमा कंपनियाँ	1.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) (II) द्वारा राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशित करेगा। 2.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी लू कार्ययोजना 2019 के बिन्दु संख्या 4.3 में दिये गये दिशानिर्देशां के अनुसार।

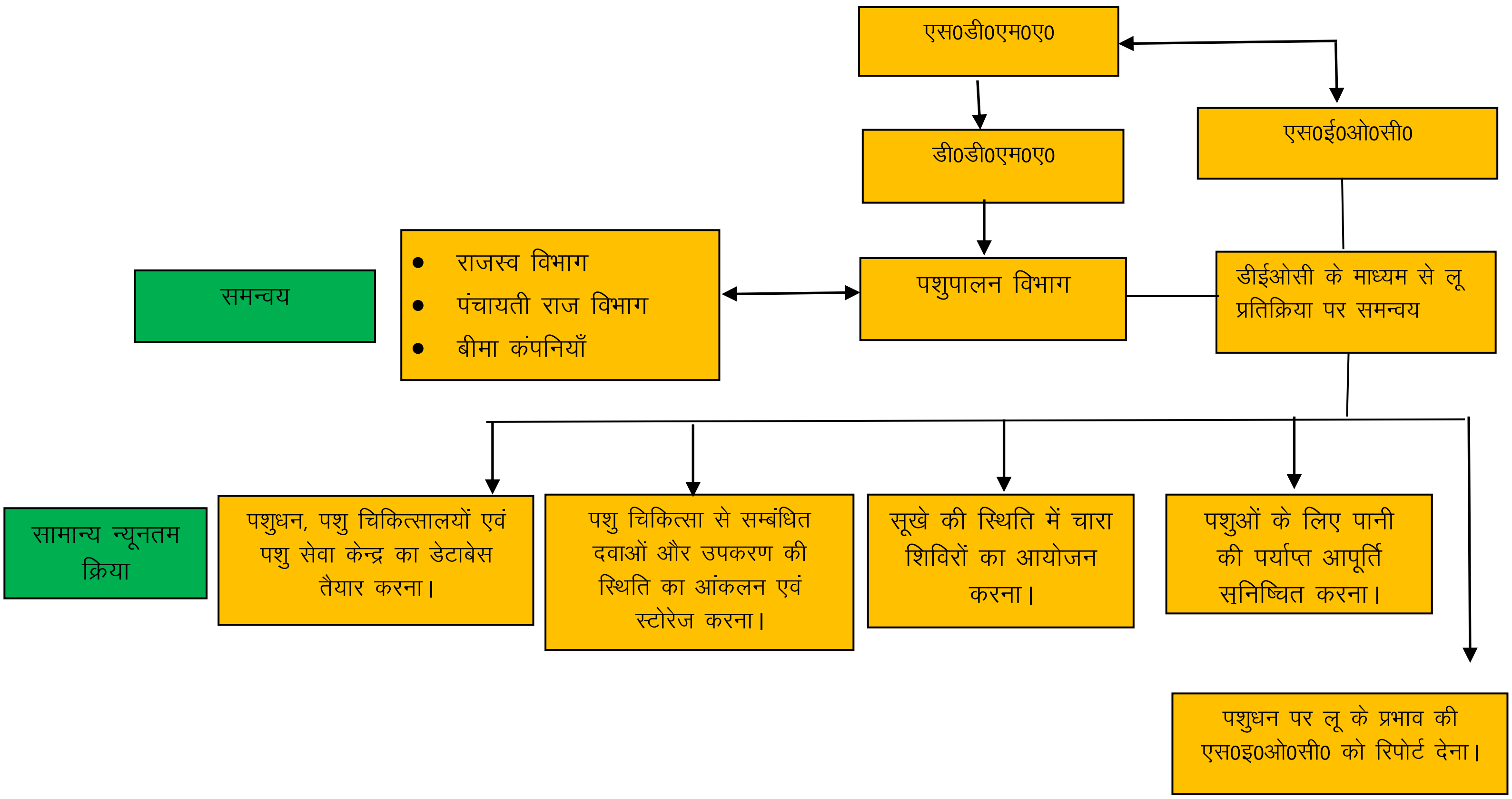

चित्र 5: पशुपालन विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

पुलिस विभागः भूमिका और जिम्मेदारियां:

क्र.सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1.	**ट्रैफिक पुलिस के लिए लू प्रतिक्रिया योजना बनाना**	1- यातायात पुलिस के लिए शरीर को ठंडा रखने वाले जैकेट, हल्के जूते और और अच्छे क्वालिटी के चश्मे खरीदना। यह 3 से 4 घंटे के लिए शरीर के तापमान को 6–12 डिग्री तक कम कर सकता है। 2- यातायात पुलिस को उपर्युक्त वस्तुओं का आवंटन करना । 3- ट्रैफिक पुलिस के लिए उचित शेड या छाता शेड की व्यवस्था करना। 4- ट्रैफिक पुलिस को हीट वे/ लू से बचाव एवं देखभाल पर संवेदनशील बनाना।	1- स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 2- लोक निर्माण विभाग 3- एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट	1-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) a(ii) द्वारा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशित करेगा।

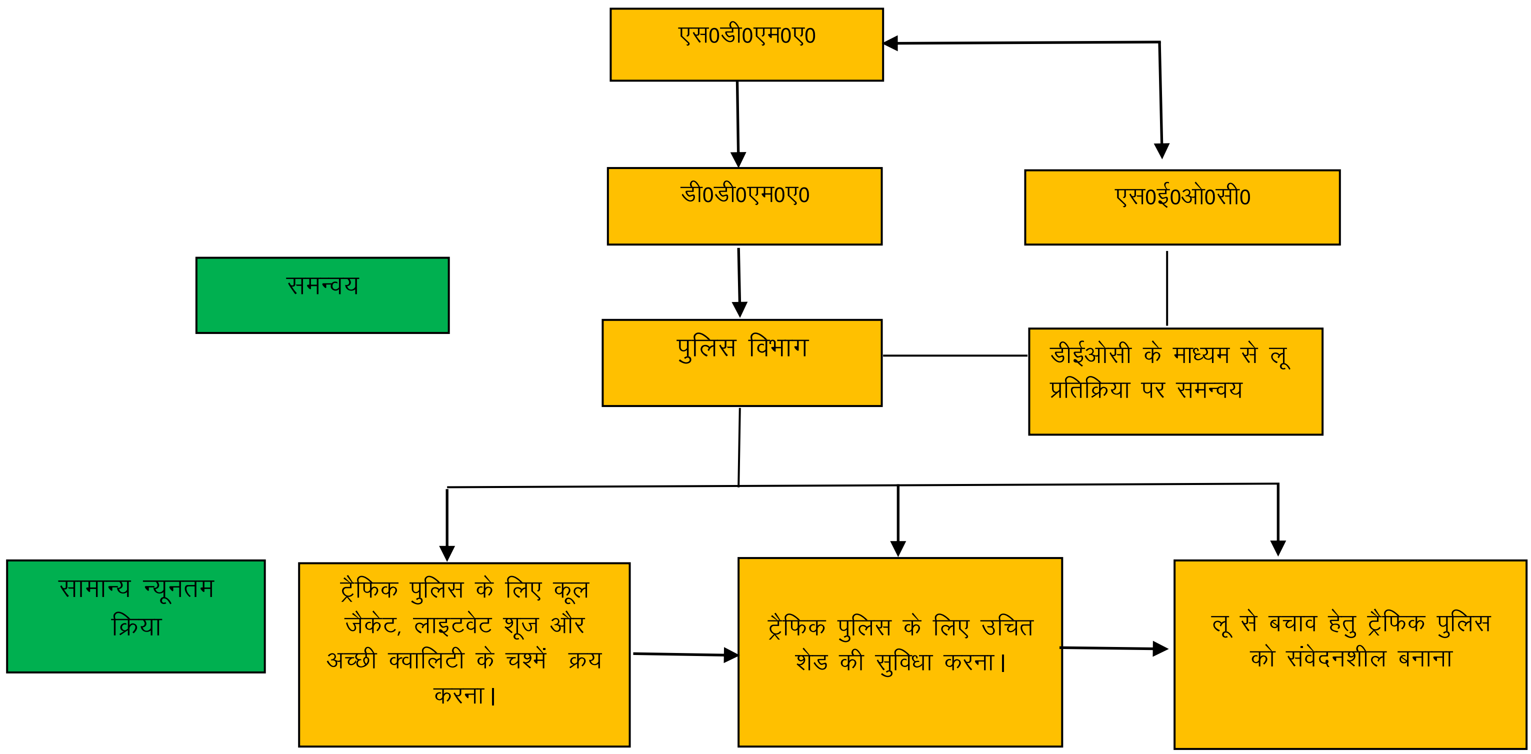

चित्र 6: पुलिस विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

श्रम विभागः भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

क्र.सं.	कार्य	परिचालन प्रक्रिया	समन्वयकारी एजेंसिया	सन्दर्भ (विधान/मानक/दिशा निर्देश)
1.	**मजदूरों के लिए लू प्रतिक्रिया योजना बनाना**	1-निर्माण कंपनियों और उद्योगों का डेटाबेस बनाएं, जिसमें बाहरी गतिविधियों और कार्य क्षेत्र में कामगार शामिल हों। 2- लू के दौरान विशेष रुप से खुले में मैनुवली काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम के घंटे को पुनर्निर्धारित करने या लचीला बनाने हेतु निर्देश जारी करना । 3- श्रमिकों को उनके शरीर की सुरक्षा के लिए लम्बी बाजू की शर्ट और टोपी व कान और गर्दन को कपड़े से ढकने के निर्देश जारी करना। 4- श्रमिकों के लिए छायादार स्थान पर विश्राम क्षेत्र के निर्माण के लिए नियोक्ताओं को निर्देशित करना। 5- नियोक्ताओं द्वारा निर्माण/ कार्य स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा किट, आइस पैक, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 6- निर्माण स्थल पर निकटतम स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस के संपर्क विवरण को प्रदर्शित करने के लिए निर्माण प्रबंधकों को निर्देशित करना। 7- निर्माण स्थल पर आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा हेतु श्रमिकों को स्थानान्तरित करने के लिये परिवहन सुविधा का प्रावधान करने हेतु निर्माण प्रबंधकों को निर्देशित करना। 8- हीट स्ट्रोक के मामले में सूचना जिला इमरजेंसी नियंत्रण कक्ष को देना ।	1-स्थानीय शहरी निकाय (ULB) 2- रियल एस्टेट एसोसिएशन 3- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 4- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता 5- एनजीओ, चौरिटी ट्रस्ट	1- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 (1) a(II) द्वारा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना बनाएगा आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के लिए सरकारी योजनाओं या विभाग द्वारा चलायी जा रही विकास परक योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेशित करेगा।

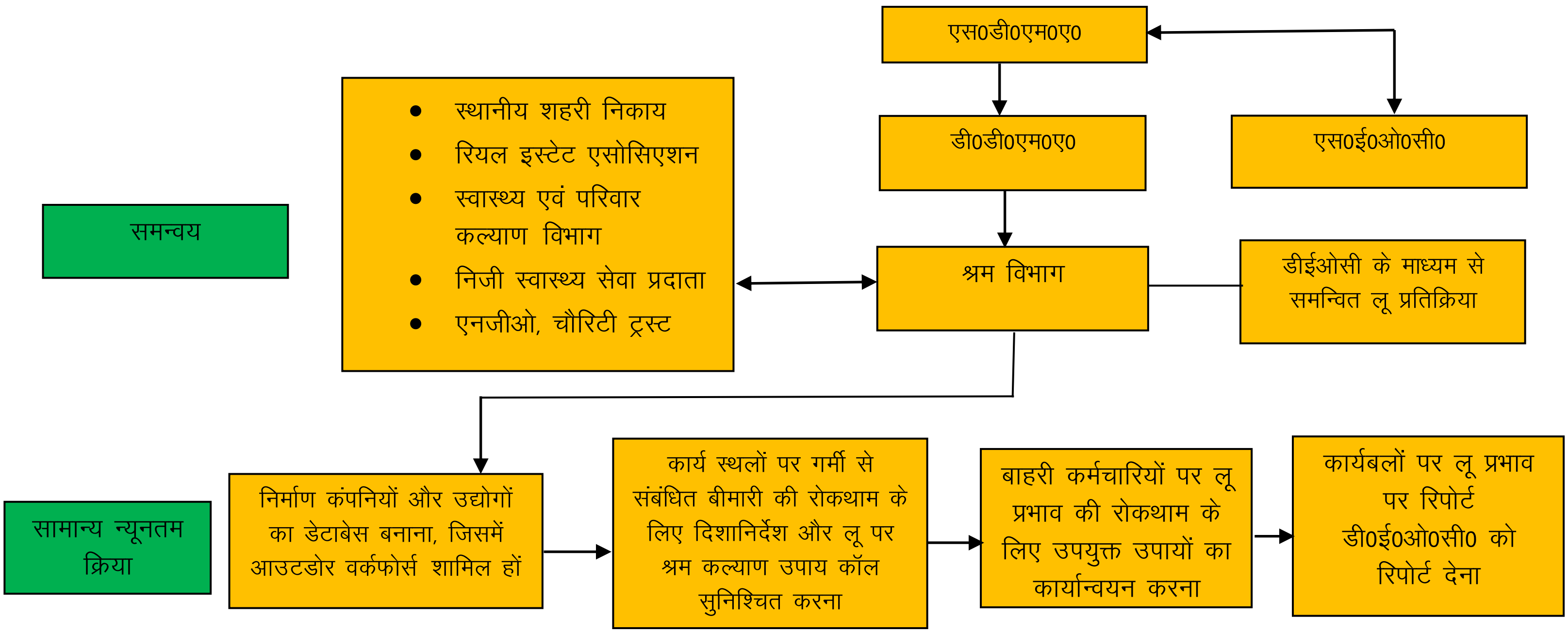

चित्र 7: श्रम कल्याण विभाग द्वारा लू प्रबंधन के लिए सामान्य न्यूनतम क्रियाएं और समन्वय

3. विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व

क्र.सं.	विभाग का नाम **Department Name**	विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व **(Phase wise Roles and Responsibilities of various Departments/Agencies)**
1.	स्वास्थ्य विभाग	• इस हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। • हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। • भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चिकित्सा चौकी स्थापित करना। • चूँकि हीट संबंधी रूग्णता/रोग परिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ससेप्टिबल/संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाए। • 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना। • सभी अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।
2.	पशुपालन विभाग	• हीटवेव के सम्बन्ध में विभाग की जानपद स्तर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अत्यधिक गर्मी के मौसम में चलने वाली लू से पशुओं में सम्भावित बीमारी, बुखार, दस्त आदि पर तत्काल प्रभावी नियन्त्रण करना पशु चिकित्सा की टीमों द्वारा तत्काल होने वाली बीमारियों पर नियन्त्रण रख पाना आदि विभाग की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां है एवं किसी भी विषम परिस्थिति में उच्चाधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाता है। इसके साथ ही विभाग में अब तक दो एम्बुलेश प्राप्त हुई है, तथा दस एम्बुलेश अभी और आने वाली है, जिनपर एक पशुचिकित्साधिकारी, एक प्रशिक्षित सहायक, उपलब्ध रहेगा। जनपद में 12 चिन्हित स्थानों पर एम्बुलेन्श की सुविधा उपलब्ध रहेगी। क्षेत्र के पशुपालकों को 1962 नम्बर डायल करने पर तत्काल पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। उपरोक्त के साथ ही जनपद के 19 विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर पशु रोग नियन्त्रण जागरूकता शिविर 31 मार्च 2023 से पूर्व आयोजित किये जायेगे, जिसमें पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम की जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही पशुपालकों जागरूक रहते हुए आने वाले गर्मी के मौसम से पूर्व जनजागरूकता अभियान चलाते हुए पशुपालकों को गर्मी से बचाव हेतु जैसे पशुओं को छाया में रखना, एवं समय समय पर नहलाना आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। अप्रैल से जून के मध्य के मध्य प्रायः गर्मी अधिक होती है। अतः सभी पशुपालकों को शिविरों के माध्यम से दवाइयां, मिनरल मिक्चर, आदि वितरण किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपकाध्मुहॅपका एवं गलाघोटूं रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है। सम्बन्धित पशु चिकित्सा

		अधिकारियोंध्गठित टीम के माध्यम से टीकाकरण अवश्य कराया जाता है। जुलाई से सितम्बर तक बरसात का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटू बीमारी हो जाती है, जिसके लिए जनपद स्तर पर टीका मॅगा लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण टीम गठित कर करा लिया जाता है। नवम्बर से दिसम्बर तक प्रायः सर्दी का मौसम रहता है, जिसमें पशुओं को ठण्ड से बचाने के उपाय किये जाते है। जनपद में इस वर्ष खुरपकाध् मुहॅपका रोग नियन्त्रण हेतु 1026900 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही गलाघोटॅ रोग नियन्त्रण हेतु 10,04,000 एच0एस0 टीकाकरण किया जा चुका है।
3.	शिक्षा विभाग	• माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्यो को हीटवेव के सम्बन्ध में पूर्व से निर्देश प्रदान कर समस्त छात्र/छात्राओ एवं अध्यापको जानकारी दी जायेगी तथा प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
4.	पशुपालन विभाग	• मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन और समीक्षा करना। • गर्मी की स्थितियों के दौरान पशु प्रबंधन पर पशुधन के किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों और गौपालों को सक्रिय करें। • सार्वजनिक स्थानों में लू से बचाव के लिए पशु प्रबंधन पर उपायों को पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित कराना। • मवेशियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना। • पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाये साथ ही पशु केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणों को पशुओं की सुरक्षा एवं लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाये।
5.	श्रम विभाग	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीट वेव/लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। • कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना। • सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाये। • श्रमिकों/कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए जाये।
6.	वन विभाग	• पब्लिक प्लेस/सार्वजनिक स्थानों में उचित वनीकरण कराना। • जंगल क्षेत्र में आग से बचाव के लिय उचित व्यवस्था करना एवं निरंतर निगरानी बनाये रखना। • वन क्षेत्र में जानवरों एवं पक्षियों' के लिए तालाब एवं पानी के श्रोतों का उचित प्रबंधन करना। • सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाये।

7.	नगर निकाय	• मंदिरों/लोक भवन/मॉल में कुलिंग सेंटर संचालित किए जाये। • नगरीय क्षेत्रो के सब्जी मण्डी/चौराहो व सार्वजनिक स्थलो पर षीतल जल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर–दराज क्षेत्रो में पानी आदि की व्यवस्था सुनिष्चित कराना। • आवश्यकतानुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याऊ (गिलास सहित) आदि का व्यवस्था कराना।
8.	पंचायती राज विभाग	• ग्रामीण क्षेत्रो के सार्वजनिक स्थलो, चौराहो व आवश्यकतानुसार संबंधित ग्रामो में पानी की टंकी/टैंकरो आदि की व्यवस्था कराना सुनिष्चित करायें। • आवश्यकतानुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याउ (गिलास सहित) आदि का व्यवस्था कराना।
9.	विद्युत विभाग	• शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे हुए बिजली के खंभों आदि को सुदृढ़ करना व क्षेत्रों में समय–समय पर रोस्टर के आधार पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। • जनमानस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि किसी कारण से बिजली आपूर्ति ठप हो जाए उन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
10.	अग्निशमन विभाग	• लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्यालय एवं तहसीलों में स्थापित उप केन्द्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24×7 क्रियाशील रखा जाये तथा अग्नि से बचाव हेतु नागरिकों को जागरूक करें। • हीट वेव और अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत अग्निकांड की घटना न होने पाये इसके लिए पूर्व तैयारी हेतु समस्त चिकित्सालयों, स्कूलों और सरकारी विभागों का फायर ऑडिट का कार्य 31, मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए। • लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग की जनपद एवं तहसील व समस्त उपकेन्द्रों पर स्थापित अद्यतन संसाधनों की सूची पूर्ण विवरण सहित तथा संबंधित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का विवरण आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना। • हीट वेव के कारण जनपद के ग्रामों में अग्निकांड की घटना हो सकता है जिसके दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ग्राम पांचायतों से लोगों को चयन कर उनको आग से बचाव हेतु प्रशिक्षित और जागरूक किया जाय। • आम–जनमानस द्वारा दी जाने वाली सूचना हेतु समस्त उपकेन्द्रों पर स्थापित टोल फ्री नम्बर का प्रचार प्रसार एवं अद्यतन कराना।

11.	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**	• गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप) व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हीट वेव/लू से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराना। • हीट वेव/लू से बचाव हेतु क्या करें, क्या ना करें की एडवाईजरी का व्यापक प्रचार प्रसार करना।

हीट बेब/लू के पूर्व के समय–जनवरी–मार्च, लू/हीट बेब के दौरान–अप्रैल–जून, लू/हीट बेब के बाद के समय–जुलाई दिसम्बर के दौरान कार्यवाईयॉ–

विभाग का नाम	कार्यवाईयॉ लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	कार्यवाईयॉ लू के दौरान (अप्रैल–जून)	कार्यवाईयॉ लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
स्वास्थ्य विभाग हरदोई	1. सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर गर्मी से होने वाली बीमारियो और विकार मे काम आने वाली दवाईया व उपकरण प्र्याप्त मात्रा मे उपलब्ध करा दिए गए हैं। 2.मार्च के महीने में हीटवेव रोगो के शीघ्र निदान और प्रबंधन के बारे मे स्वास्थ्य कर्मियो का प्रशिक्षण प्रस्तावित हैं।	1. प्रचार प्रसार हेतु आई0ई0सी0 सामग्री को गर्मी के मौसम मे मुदित करने का प्रस्ताव है, आई0ई0सी0के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। 2. प्रचार माध्यमो द्वारा जनता को क्या करें क्या न करें के बारे मे जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना। 3. हीट बेव रोग मे प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिकउपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सको द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। 4. आशा को अपने–अपने क्षेत्रो के फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण करने के लिए O.R.S दिया जायेगा।	1. जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए वन एवं कृषि विभाग के साथ अर्न्तक्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जायेगा। 2. जुलाई के महीने मे भी गर्मी के मौसम मे की जाने वाली गतिविधियो को जारी रखने की योजना बनाई गयी हैं। 3. अप्रैल से जून के महीने के दौरान हीट सिंकोप हीट स्ट्रोक और अन्य हीट डिसआर्डर से पीड़ित व्यक्तियो के विस्तृत केस स्टडी की योजना बनाई गई हैं।
पशुपालन विभाग हरदोई	पशुओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले गर्मी के मौसम से पूर्व सर्तक रहते हुये जनजागरूकता अभियान चलाते हुए पशुपालकों को गर्मी से बचाव हेतु जैस–उन्हे छाया में रखना एवं समय समय पर नहलाना आदि की जाकारी प्रदान की जाती है।	अप्रैल से जून के मध्य प्रायः कर्मी अधिक होती है अतः सभी पशुपालकों सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुहपका रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराये एवं गलाघोटूॅ बीमारी के टीकाकरण भी जो कि निःशुल्क कराये एवं गलाघोटूॅ बीमारी के टीकाकरण भी जो कि निःशुल्क विभाग द्वारा लगाये जाते है। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियों/गठित टीम के माध्यम से टीकाकरण अवश्य कराये।	जुलाई से सितम्बर तक प्रायः वारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटूॅ बीमारी हो जाती है जिसके लिए जनपद स्तर पर वैक्सीन मॅगा ली जाती है एवं जनपद के पशुओं में टीकाकरण करा लिया जाता है।
	सिंचाई विभाग के द्वारा माह	कृषकों को सिंचाई हेतु रोस्टर के	अप्रैल से जून के मध्य

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई	जनवरी से मार्च के मध्य सींचपाल, सीचपर्यवेक्षक तथा जिलेदार के माध्यम से सूखाग्रस्त तालाबों के आकडें तैयार किये जाते हैं साथ ही तालाबों में तथा कृषकों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता हेतु समस्त तैयारियाँ पूर्ण करायी जाती हैं।	मुताबिक नहरों का संचालन कर जल उपलब्ध कराया जाता है साथ ही तालाबों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाती है।	कराये गये कार्यों को यथावत् जारी रखा जाता है।
अग्निशमन एवं आपत सेवा उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई	फायर सर्विस के पास आग बुझाने के लिए फायर टैंकर	घटना स्थल की सूचना मिलने पर घटनास्थल के लिए रवाना हेतु तैयारी हालत में रहेगें	घटनास्थल पर पहुॅचकर बचाव कार्य प्रारम्भ करेगें। घायलों को उपलब्ध संसाधनों द्वारा हॉस्पिटल पहुॅचायेंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई	समस्त विद्यालयों में आगामी माह में अत्यअधिक गर्मी से बचाव हेतु कक्षा/कक्षों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार पंखो की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।	समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यो को पत्र जारी कर निर्देशित करते हुये छात्र/छात्राओ को लू के दौरान बिन्दुवार सावधानियॉ रखने की सलाह– 1.छात्र/छात्राआ एवं शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहे। 2.खुद को हाईड्रेड रखने के लिये ओ0आर0एस0 घोल, नारियल पानी, नीबू पानी छाछ, आदि घरेलू पेय पदार्थो का इस्तमाल करें 3. हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपडे पहने। 4. धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखे 5.विद्यालयों में साफ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था किया जाना। 6. बहुत अधिक आवश्यकता होने पर धूप/गर्मी में घर से वाहर निकले। 7. कक्षा–कक्षों की खिडकियों को खुला रखें और कमरों में पंखों की व्यवस्था करें। 8. अचानक ठण्डी जगह से एक दम गरम जगह में न जायें। 9.गर्मी के मौसम में चाय कॉफी गरम पेय का सेवन कम करें एवं मसालेदार चीजों	मौसम परिवर्तित होने पर शरीर को पूर्ण रूप से ढकने वाले कपडो का इस्तमाल करने हेतु समस्त छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाय। जुलाई अगस्त माह में वर्षा वाले मौसम में होने वाली बिमारियों के प्रति छात्र/छात्रओं को जागरूक किया जाना।

		का सेवन कम करें। सभी छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाये कि घर से निकलते समय खाली पेट न जाये। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें।	
वन विभाग हरदोई	प्रभाग के अर्न्तगत समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारियो को लू से पूर्व (जनवरी–मार्च) लू से बचाव निम्न कार्य/उपाय किये जाने के दिशा –निर्देष निर्गत किये जाते हैः– 1–वृक्षारोपण क्षेत्र के श्रमिको को सुरक्षा वाचरो के विश्राम हेतु झोपड़ी की व्यवस्था सुनिष्चित किया जाना। 2–पेयजल हेतु हेण्डपम्प की सुविधा। 3–वन्यजीवों को गर्मी से बचाव हेतु वन क्षेत्रो मे पानी की सुविधा हेतु कच्चे वाटर होलो का खुदान कर पानी भरना। 4–हीट बेव रोगो के शीघ्र निदान और प्रबन्धन 5–आकस्मिक चिकित्सा हेतु मेडिसिन 6–हीटवेव रोग से बचाव हेतु जागरुकता कार्यक्रम। 7–वन्य जीवो के उपचार हेतु पिजड़ा आदि की मरम्मत कर तैयार कराना। 8–वन अग्नि दुघर्टना के नियंत्रण हेतु फायर लाइन का निर्माण कार्य। 9–जनपद मुख्यालय पर कन्ट्रोल रुम की स्थापना तथा रेज स्तर पर वन अग्नि दुघर्टना होने की सूचना प्रभागीय कार्यालय को समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया	1– वृक्षारोपण सुरक्षा वाचरो के विश्राम हेतु झोपड़ी का निर्माण। 2–पेयजल हेतु हेण्डपम्प की उपलब्धता। 3–हीट बेव रोग मे प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट। 4–वन अग्नि की रोकथाम हेतु फायर वाचर लगाया जाना। 5– मुख्यालय पर कन्ट्रोल रुम की व्यवस्था। 6–ट्रेक्टर टैकर से पानी की व्यवस्था। 7–श्रमिको को लू से बचाव हेतु सुबह और शाम के समय कार्य लिया जाना	वन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन महोत्सव आदि के कार्यक्रम कराये जाते रहे है। लू के सम्बन्ध मे जुलाई के महीने मे भी गर्मी के मौसम मे की जाने वाली गतिविधियो को जारी रखने की योजना बनायी जाती है तथा अनुपालन हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देष दिये जाते है।

	जाना। 10– दैनिक समाचार पत्रो मे कन्ट्रोल रुम की स्थापना व अधिकारियो/ कर्मचारियो के दूरभाश नम्बरो को प्रकाशित किया जाना।		

4. **हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन**

4.1 **हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम**

गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। लू लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढा देता है। सिर में भारीपन मालूम होने लगता है, नाढ़ी की गति बढने लगती है, खून की गति भी तेज़ हो जाती है। सांस की गति भी ठीक नहीं रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। बुखार काफी बढ़ जाता है। हाथ और पैरों के तालुआ में जलन सी होती रहती है। ऑखें भी जलती है। इससे अचानक बेहोषी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है।

4.2 **हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोचार।**

हीट सम्बन्धित रोग	लक्षण	प्रथमोपचार
सन बर्न	त्वचा में लालीमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि तेल से बन्द रंध्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमिक ड्रेसिंग का उपयोग करे तथा चिकित्सकीय सलाह लें।
हीट क्रैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह एंठन (स्पाज्म); ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाए, क्रैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी की बूंद बूंद पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।

हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी; त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप–चिपी, सरदर्द। सामान्य तापमान संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें। वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कमरे का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी की बूंद बूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106 डिग्री फा0 या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा। तेज जोरदार नाड़ी (पल्स); बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीलें पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

4.3 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ो का संग्रहण।

हीट वेव से हाने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है।

हीट वेव प्रभावितो की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करनाः– हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पूर्व के अनुभवों से यह भी स्पष्ट होता है कि गलत रिपोर्टिंग को सत्यापित किया जाए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैः–

- विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाए।
- रोग संबंधी घटनाओं (डिजीज इंसीडेन्स), पंचनामा तथा दूसरें गवाहों या प्रमाणों या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।
- कारणों सहित पोस्ट मार्टम, चिकित्सीय जॉच की रिपोर्ट।
- स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।

प्रारूप– हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों की दैनिक रिर्पोट (राज्य सरकार को जनपद से प्रेषित)

क्र	ग्राम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ब्लॉक / षहर	नाम व पिता/पति का नाम	ग्रामीण / षहरी क्षेत्र	बी0पी0 एल0 हॉ/ना	आयु / लिंग	लू आघात होने का दिनांक	कोई पूर्वगामी बीमारी	मृत्यु का कारण	एम0ओ0 व एम0 आर0ओ0 द्वारा कुल मृत्यु की पुष्टि

4.4 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी

- इस हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियाान चलाना प्रभावकारी होगा। ए0एन0एम0व आषा के माध्यम से सामान्य जनता को लू/हीट वेव से बचाव तथा त्वरित उपचार हेतु जागृत किया जायें।
- हीट वेव रोग मे प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवष्यक तथा महत्वपूर्ण है। सभी चिकित्सालयों मे लू/हीट प्रभावित रोगीयों के परीक्षण व उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिष्चित की जायें। तथा ओ0आर0एस0 व आई0वी0फ्लूड का पर्याप्त स्टॉक रखा जायें।
- भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चिकित्सा चौकी स्थापित करना।
- चूँकि हीट संबंधी रूग्णता/रोग परिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ससेप्टिबल/संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाए।
- ग्राम स्तर के कर्मचारीयों सहित सभी कर्मचारीयों को लू/हीट वेव के प्रभाव पर शमनात्मक व निरोधात्मक कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित किया जायें।

4.5 हीटवेव (लू) के दौरान ''क्या करें क्या न करें''

हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिएः–

क्या करेंः–

1. प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पियें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।

3. हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले हल्के वस्त्र पहनें।
4. धूप के चश्में, छाता, टोपी, व चप्पल का प्रयोग करें।
5. अगर आप खुले में कार्य करते है तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़ें से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें।
6. यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ ले जाएं।
7. ओ0आर0एस0, घर में बने हुये पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी (माड़), नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
8. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें।
9. यदि मूर्छा या बीमारी अनुभव करते है तो तुरन्त चिकित्सीय सलाह लें।
10. अपने घरों को ठण्डा रखें, पर्दे दरवाजे आदि का उपयोग करें। तथा शाम/रात के समय घर तथा कमरों को ठण्डा करने हेतु इसे खोल दें।
11. पंखे, गीले कपड़ों का उपयोग करें तथा बारम्बार स्नान करें।
12. कार्य स्थल पर ठण्डे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
13. कर्मियों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
14. श्रमसाध्य कार्यों को ठण्डे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
15. घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढायें।
16. गर्भस्थ महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।

क्या न करें:-

1. बच्चों को खड़ी गाडियों में न छोंड़े।
2. दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।
3. गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़ें न पहनें।
4. जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रमसाध्य कार्य न करें।

5. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां

जनपद/ब्लाक पर नोडल अधिकारी नामित करने, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर मॉनीटर किये जाने, हीट वेव के समय "क्या करें व क्या न करें" की प्रचार प्रसार किये जाने, मोबाइल मैसेज/व्हाट्सएप्प आदि सोशल मिडिया के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किये जाने, तीव्र गर्मी के बचाव हेतु विद्यालय समय मे परिवर्तन किये जाने, पेय जल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों/कामगारों के कार्य करने के घण्टों में परिवर्तन किये जाने के निर्देश जारी करना।

5.1 **हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोरवर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकडो का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य**

समस्त हितभागी विभागों/ संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2023 में लू प्रकोप से बचाव हेतु जो कार्य किये जा रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव उपयुक्त प्रकार से करें, जिसके आधार पर आगामी वर्षों में बेहतर कार्य किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जा सके।

5.2 क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोषल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्रियां जैसे– पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से इलाज के उपाय, बीमारी से रोकथाम, गर्म हवा से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े निम्न लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर गर्मी से उत्पन्न बीमारियों को पहचानने एवं उसका इलाज करने सम्बन्धी प्रशिक्षण/जानकारियां देकर रूग्ण दर एवं मृत्यु दर कम किया जा सके।

- मेडिकल ऑफिसर
- पैरामेडिकल स्टॉफ
- सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
- गैर सरकारी संस्थाएं

5.3 **दीर्घकालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय।**

जलवायु अनुकूलन (एक्लीमेटाईजेशन):–

तुलनात्मक रूप से ठण्डी जलवायु वाले देश/प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुले में न घुमने हेतु बताया जाए ताकि नये गर्म जलवायु में उनके अन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाए। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाना चाहिए। नये (ऊष्ण) वातावरण में वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे–धीरे हो जाता है।

आकड़े प्राप्त करना तथा इनका विश्लेषण:–

राष्ट्रीय स्तर पर हीट वेव (लू) नोटीफाइड आपदा में शामिल नहीं है, इसलिए हीट वेव से सम्बन्धित रोगी तथा मृतकों की सही सूचना तथा आंकड़ें उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थिति से निपटने तथा शमनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु यह अति आवश्यक है कि हीट वेव से मरने वाले व्यक्तियों की आयु वर्ग, लिंग, व्यवसाय सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जाए। इसके अतिरिक्त मृत्यु घर में या बाहर हुई एवं आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है।

5.4 **सीखे**

5.5 **हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन**

जनपद में अभी तक हीट वेब से संबन्धित मामला प्रकाश में नहीं आया है। अगर हीट वेब से संबन्धित कोई जनहानि आदि कि घटना होती है तो उस मामले का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर मिटिगेशन मेजर्स को अपनाया जाएगा।

5.6 **वित्तीय प्रावधान**

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 303 /1–11–2016–4(जी)/16
लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2016

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के सम्बन्ध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या–32–7/2014– एन0डी0एम0–1, दिनॉक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

13.	State specific disaster within the local context in the State, which are not included in the notified list of disaster eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF. • The Flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disaster for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disaster; with the approval of SEC.

2. राज्य में बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू–प्रकोप से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जन–धन की हानि होती है। अतः भारत सरकार द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–249/1–11–2015–4(जी)/2015, दिनांक 15.04.2015 (यथा संशोधित दिनांक 16.04.2015) को निरस्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू–प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त राज्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिये निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जायेगी।

4. उक्त राज्य आपदाओं के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

5. प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

U.O. 2016 //Pg72

1/1

अहेतुक सहायता राशि	सहायता के लिए मानदंड
क) मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि ।	• रु 4.00 लाख, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राहत कार्य अथवा पूर्व तैयारी में लगे व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं इस शर्त के साथ कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण का प्रमाणीकरण किया गया है।
बी) किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह राशि	• रु59100 / – प्रति व्यक्ति, उस दशा में जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है। • रु2.00 लाख प्रति व्यक्ति उस दशा में जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत से अधिक हो। इस शर्त के साथ कि सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के चिकित्सक द्वारा शारीरिक अक्षमता की सीमा तथा कारण प्रमाणित किया गया हो।
ग) गंभीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह राशि ।	• रु12,700/– प्रति व्यक्ति, गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो । • रु4,300 / – प्रति व्यक्ति, गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो ।

संलग्नक– सूचना शिक्षा एवं संचार सामग्री।

Uttar Pradesh State Heat Action Plan

उत्तर प्रदेश

लू-तापघात के लक्षण

अधिक गर्मी एवं लू के कारण होने वाली बीमारियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं.
हीट इग्जॉस्चन एवं हीट स्ट्रोक

हीट इग्जॉस्चन के लक्षण

- अत्यधिक प्यास
- शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (100.4°F से < 104°F)
- मासपेशियो में ऐंठन
- जी मिचलाना/उलटी होना
- सिर का भारीपन/सिरदर्द
- रक्त चाप का कम होना
- चक्कर आना
- भ्रांति/उलझन में होना
- अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना
- अधिक पसीना एवं चिपचिपी त्वचा

हीट स्ट्रोक लक्षण

- शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (> 104°F)
- पसीना आना बंद होना/पसीने की ग्रंथि का निष्क्रिय होना
- मांसपेशियों में ऐंठन, चिपचिपी त्वचा
- त्वचा एवं शरीर का लाल होना
- जी मचलाना/उल्टी होना, चक्कर आना
- सिर का भारीपन/सिरदर्द, चक्कर आना
- भ्रांति/उलझन में होना
- अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना
- मानसिक असंतुलन
- साँस की समस्या, श्वसन प्रक्रिया तथा धड़कन तेज होना

प्राथमिक उपचार

- व्यक्ति को तुरत पंखे के नीचे तथा छायादार ठन्डे स्थान पर ले जाये.
- कपड़ो को ढीला करें.
- शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करे.
- ओ आर एस का घोल पिलाये.
- निम्बू का पानी नमक के साथ पिलाये.
- मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा हल्की मालिश करें.
- शरीर के तापमान को बार बार जाँचे.
- यदि कुछ समय में सामान्य न हो तो तुरंत चिकित्सा केंद्र ले जाये.

उपचार

- मरीज को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले जायें कपड़ो को ढीला करें.
- तुरंत पंखे के नीचे तथा छायादार ठन्डे स्थान पर ले जाये, शरीर को गीले कपडे से स्पंज करे.
- अगर मरीज कुछ पीने की अवस्था में हो तो पानी या शीतल पेय पिलायें .
- ओ आर एस का घोल पिलायें.
- निम्बू का पानी नमक के साथ पिलायें.
- मांसपेशियों पर दबाव डाले तथा हल्की मालिश करे.

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

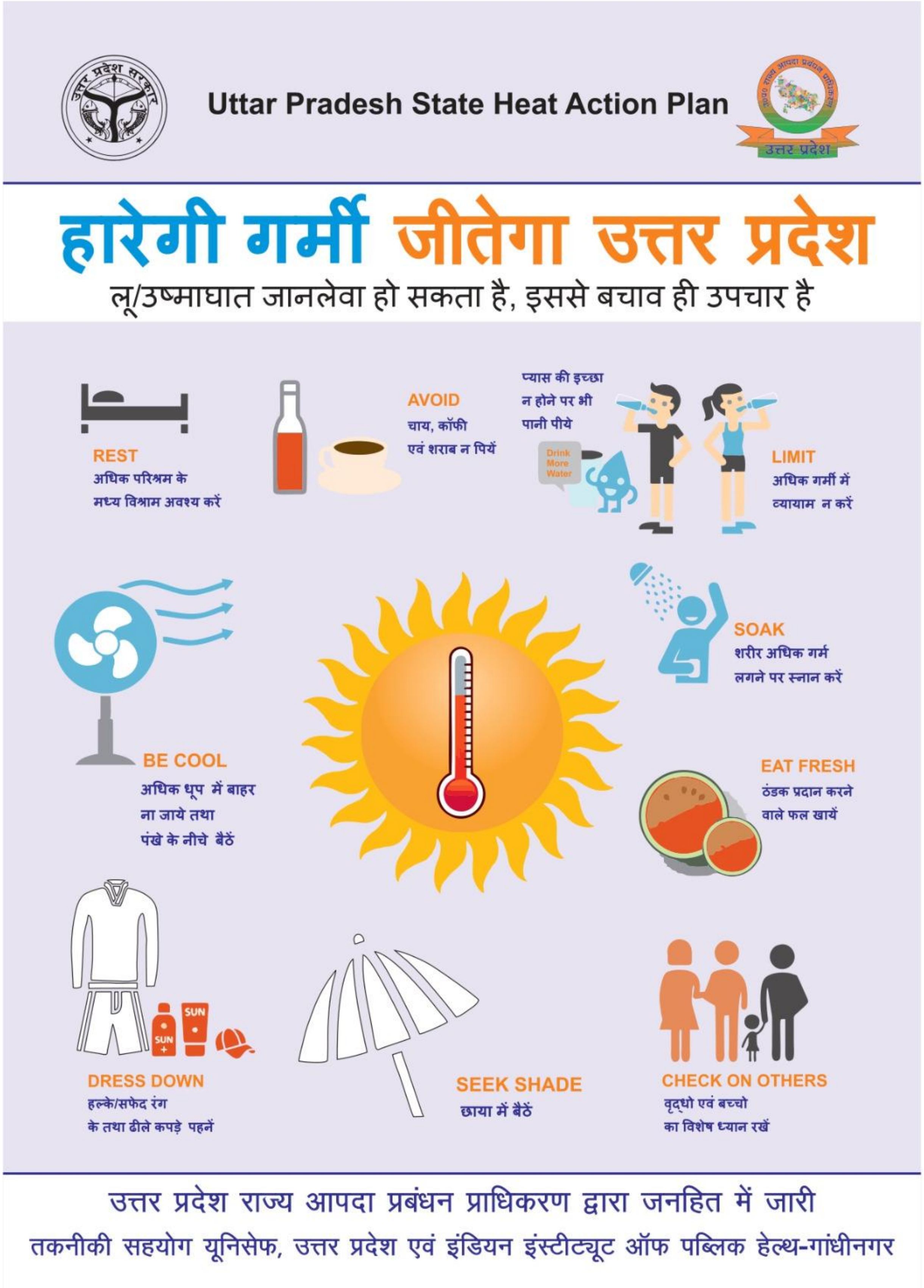
Uttar Pradesh State Heat Action Plan
उत्तर प्रदेश
हारेगी गर्मी जीतेगा उत्तर प्रदेश
लू/उष्माघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है
REST
अधिक परिश्रम के मध्य विश्राम अवश्य करें
AVOID
चाय, कॉफी एवं शराब न पियें
प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी पीये
Drink More Water
LIMIT
अधिक गर्मी में व्यायाम न करें
SOAK
शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान करें
BE COOL
अधिक धूप में बाहर ना जाये तथा पंखे के नीचे बैठें
EAT FRESH
ठंडक प्रदान करने वाले फल खायें
SUN
DRESS DOWN
हल्के/सफेद रंग के तथा ढीले कपड़े पहनें
SEEK SHADE
छाया में बैठें
CHECK ON OTHERS
वृद्धो एवं बच्चो का विशेष ध्यान रखें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

Uttar Pradesh State Heat Action Plan
उत्तर प्रदेश
लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.
ठंडक प्रदान करने वाले
पेय पदार्थ पियें
सफेद या हल्के रंग के
कपड़े पहनें
अधिक गर्मी में घर से
बाहर न निकलें
छाया में बैठकर विश्राम करें
बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती
महिलाओं का विशेष ध्यान रखें
35°C
40°C
घर की छत पर
चूने/सफेद रंग का पेन्ट करें
सिर पर गीला कपड़ा तथा
शरीर को कपड़े से ढककर
बाहर निकलें
प्यास की इच्छा न होने पर भी
बार-बार पानी पियें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

UTTAR PRADESH STATE HEAT ACTION PLAN

श्रमिकों को तापघात से बचायें ।

श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कराना हमारी जिम्मेदारी है ।

कार्य के बीच-बीच में विश्राम दें ।

रेड अलर्ट के समय कार्य का समय बदलें ।

कार्य स्थल पर ठण्डे पानी की व्यवस्था करें ।

कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें ।

अधिक गर्म होने वाले उपकरणों को ठण्डा करने की व्यवस्था करें ।

श्रमिकों के बच्चों कें लिए ठण्डे एवं आरामदायक कमरे की व्यवस्था करें ।

श्रमिकों को तापघात से बचाव के तरीके समझायें एवं बार-बार पानी पीने के लिये प्रेरित करें ।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

Clinical Presentation and Treatment Protocol Heat Related Illnesses

Heat-Related Illness	Clinical Presentation	Treatment
Heat oedema	• Mild swelling of feet, ankle and hands • It appears in a few days of exposure to the hot environment • Does not progress to pretibial region	• Usually resolves spontaneously within days to 6 weeks • Elevate leg • Compressive stocking • Diuretics are not effective
Prickly Heat	• Pruritic, maculopapular, erythematous rash typically over covered areas of body • Itchiness • Prolonged or repeated heat exposure may lead to chronic dermatitis	• Antihistamine • Wear clean, light, loose-fitting clothing • Avoid sweat generating situations • Chlorhexidine is a light cream or lotion base • Calamine lotion
Heat Cramps	• Painful, involuntary, spasmodic contractions of skeletal muscle (calves, thighs and shoulder) • Occur in individuals sweating profusely and only drinking water or hypotonic solutions • Limited duration • Limited to specific muscle group	• Fluid and salt replacement (IV or oral) • Rest in a relaxed environment
Heat Tetany	• Hyperventilation • Extremity/s and circumoral paresthesia • Carpopedal spasm	• Calm the patient to reduce respiratory rate • Remove from hot environment
Heat syncope	• Postural hypotension • Commonly in non-acclimatized elderly	• Rule out other causes of syncope • Removal from the hot environment • Rest and IV drip
Heat Exhaustion	• Headache, nausea, vomiting • Malaise, dizziness • Muscle cramps • Temperature less than 40°C or normal • May progress to heatstroke if fails to improve with treatment • No CNS involvement	• Remove the patient from the heat stress area • Volume replacement • If there is no response to treatment in 30 minutes, then aggressively cool the patient to a core temperature of 39°C
Heatstroke	• Core body temperature greater than 40oC • Signs of CNS dysfunction: Confusion, delirium, ataxia, seizures, coma • Other late findings: anhidrosis, coagulopathy, multiple organ failure	• Remove the patient from the heat stress area • Volume replacement • If there is no response to treatment in 30 minutes, then aggressively cool the patient to the core temperature of 39°C (further details later in document)

Reference: National Action Plan On Heat Related Illnesses, NCDC, MOHFW, 2021

Issued in Public Interest by Uttar Pradesh Disaster Management Authority

Technical supported by UNICEF, Uttar Pradesh and Indian Institute of Public Health-Gandhinagar

Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre

Suspect case of heatstroke → Call 108/ Ask for Medical help

↓

Bring victim to safe, cool and shady environment, take vital signs

↓

Provide Oxygen supplementation. Do not give any fluid or food if person is unconscious or has altered sensation

↓

Remove all unnecessary clothing, start tepid sponging

↓

Increase airflow to the person using (mist) fan, spraying of cool water over the body

↓

Apply cold compress/ice packs at the neck, axilla, groin and head

↓

If possible, start IV drip infusion of cold saline

↓

Check vital signs, monitor body core temperature

↓

Refer / Transfer to nearest appropriate hospital, inform the guardians about prognosis

Consider heat illness in differential diagnosis if:

a. Presented with suggestive symptoms and signs	b. Patient has one or more of the following risk factors:
	i. Extremes of age (infants, elderly) ii. Debilitation/physical deconditioning, overweight or obese iii. Lack of acclimatization to environmental heat (recent arrival, early in summer season) iv. Any significant underlying chronic disease, including psychiatric, cardiovascular, neurologic, hematologic, obesity, pulmonary, renal, and respiratory disease v. Taking one or more of the following: 1. Sympathomimetic drugs 2. Anticholinergic drugs 3. Barbiturates 4. Diuretics 5. Alcohol 6. Beta-blockers

Reference: National Action Plan On Heat Related Illnesses, NCDC, MOHFW, 2021.

1. भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न प्रारूप **(Various Format Released by Govt of India)**

Format B

(To be cumulated at the State Level and sent to Central Government)

DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS -State .... **Date:**

S. No.	Name of the district (Name of all districts)	New cases admitted due to Heat Related Illness since the last reporting period	Cumulative no of cases admitted due to Heat Related Illness since 1st April	Deaths reported due to Heat Related Illness since the last reporting period	Cumulative no of deaths due to Heat Related Illness since 1st April	Remarks (If any shortage of ORS/ IV fluids/ Treatment facilities etc...)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	TOTAL					

Annexure- 7

Format A

DAILY REPORT OF HEAT STROKE CASES AND DEATHS (District report to State government)

S. No.	Village	PHC	Block/City	Name & Son/ Daughter/Wife of	Urban U Rural R	BPL Y/N	Age/Sex	Date of attack of Heat Stroke	Any Antecedent illness	Cause of death	Death confirmed by MOs and MROs

Format B: Details of the death reported due to Heat-Wave (record kept with State government)

S. No.	Name and Address	Age	Sex (M/F)	Occupation	Place of death	Date and time of death	Max Temp recorded (Rectal and Oral)	Deaths reported during heat wave period or Not	List of chronic diseases present (Ask the family members)	Date and time of post mortem (If conducted)	Date and time of joint enquiry conducted with a revenue authority	Cause of death	Remarks	
													Related to post-mortem	Related to Joint enquiry
1														
2														
3														
4														

Name and designation of the reporting officer:

Signature with Date

Annexure-6

Format A: Death reported due to Heat Wave (States report to NDMA)

Name of the State: **Year:** **Reporting Periods:** **Date of Reporting:**

District		Location						Occupation					Economic		
		Urban		Rural		Total		Farmers	Labours	Hawkers	Others	Total	BPL	APL	Total
	Age Group	M	F	M	F	M	F								
District 1	0-6 years														
	7-18 years														
	19-35 years														
	36-60 years														
	61 > above														
	Sub Total														
District 2	0-6 years														
	7-18 years														
	19-35 years														
	36-60 years														
	61 > above														
	Sub Total														
Total State															

*If any other information related to heat wave, please enclose a separate page.

Name and designation of the reporting officer:

Signature with Date

महत्वपूर्ण फोन नंम्बर की लिस्ट

क्रमांक	पदनाम	मो0 नं0
1.	जिलाधिकारी	9454417556
2.	पुलिस अधीक्षक	9454400276
3.	मुख्य विकास अधिकारी,	9454416620
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),	9454417627
5.	मुख्य चिकित्साधिकारी,	8005192662
6.	प्रभागीय वनाधिकारी	9412234405
7.	उपजिलाधिकारी, सदर	9454416599
8.	उपजिलाधिकार, संडीला	9454416601
9.	उपजिलाधिकार, सवायजपुर	9454416603
10.	उपजिलाधिकार, बिलग्राम	9454416603
11.	उपजिलाधिकार, शाहाबाद	9454416602
12.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	9454418378
13.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	9410866524
14.	जिला विद्यालय निरीक्षक	9454457317
15.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	9453004173
16.	जिला कृषि अधिकारी	9415754254
17.	जिला पंचायत राज अधिकारी	7906193150
18.	जिला सूचना अधिकारी	9453005429
19.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका हरदोई	9451215127

संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के

क्र0सं0	नाम	पद नाम	तैनाती स्थान	मो0 नम्बर
1	डॉ राजेष कुमार तिवारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सी0एम0ओ0 हरदोई	9454455207
2	डॉ अनिल कुमार पंकज	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	हरदोई	8175042864
3	डॉ समीर वैष्य	नोडल अधिकारी अर्बन पी0एच0सी	हरदोई	9415757771
4	डॉ राजेश कुमार वर्मा	एम0ओ0 कन्ट्रोल रूम	कन्ट्रोल रूम हरदोई	8318992863
5	डॉ राजेश कुमार	एम0ओ0सी0एच0कन्ट्रोल रूम	कन्ट्रोल रूम हरदोई	9450059428
6	दिनेश दीक्षित	एच0एस0 कन्ट्रोल रूम	कन्ट्रोल रूम हरदोई	9838564206
7	बिपिन बिहारी	एच0एस0 कन्ट्रोल रूम	कन्ट्रोल रूम हरदोई	7376944931
8	डॉ पंकज मिश्रा	अधीक्षक	अधीक्षक बावन	9565834371
9	डॉ शिवसागर चौधरी	अधीक्षक	अधीक्षक सुरसा	8808397206
10	डॉ मनोज सिंह	अधीक्षक	अधीक्षक अहिरोरी	9415408047
11	डॉ सुशील कनौजिया	अधीक्षक	अधीक्षक टड़ियावा	9453992122
12	डॉ राजीव रंजन	अधीक्षक	अधीक्षक हरियावा	8318566574
13	डॉ सरद वैष्य	अधीक्षक	अधीक्षक सण्डीला	9839744910
14	डॉ अरविन्द मिश्रा	अधीक्षक	अधीक्षक भरावन	8423661825
15	डॉ शैलेन्द्र शुक्ला	अधीक्षक	अधीक्षक बेहन्दर	9915982056
16	डॉ किषलय बाजपेई	अधीक्षक	अधीक्षक कछौना	9415525658
17	डॉ विपुल वर्मा	अधीक्षक	अधीक्षक कोथावा	9721373882
18	डॉ जितेन्द्र श्रीवास्तव	अधीक्षक	अधीक्षक पिहानी	9453433500
19	डॉ मार्कन्डेय प्रसाद	अधीक्षक	अधीक्षक टोंडरपुर	9198256234
20	डॉ प्रवीण दीक्षित	अधीक्षक	अधीक्षक षाहाबाद	9839371371
21	डॉ अमित कुमार	अधीक्षक	अधीक्षक हरपालपुर	8090634020
22	डॉ आनन्द	अधीक्षक	अधीक्षक भरखनी (पाली)	7408098034
23	डॉ संजय कुमार	अधीक्षक	अधीक्षक माधौगंज	7355689566
24	डॉ संजय सिंह	अधीक्षक	अधीक्षक मल्लावा	7905835429
25	डॉ राजेन्द्र कुमार	अधीक्षक	अधीक्षक बिलग्राम	9415462937
26	डॉ अखिलेष बाजपेई	अधीक्षक	अधीक्षक साण्डी	8009247625